



# उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

1 मार्च, 2024 तक यथासंशोधित

मिनिस्त्री एस०  
आई०ए०एस०  
आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश



वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

संकलनकर्ता



द्वारा

हरिलाल प्रजापति  
संयुक्त आयुक्त, जीएसटी, राज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

पारितोष कुमार मिश्रा  
उपायुक्त (टीआरयू)  
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

सहयोगकर्ता



**NTN**

**नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स**

बी-2, मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद-201001

**email : [ntnalerts@gmail.com](mailto:ntnalerts@gmail.com)**

**website : [www.gstlawsindia.com](http://www.gstlawsindia.com)**

---

टिप्पणी :

प्रस्तुत संकलन केवल सूचनार्थ प्रयोग हेतु है। सभी प्रकार के कानूनी उपयोग हेतु केवल सरकारी गजट में प्रकाशित संस्करण ही मान्य होगा।

---



**Ministhy S**  
**I.A.S.**  
**Commissioner**  
**State Taxes Uttar**  
**Pradesh**



**4. Vibhuti Khand, Gomti Nagar**  
**Lucknow -226010**  
**☎ Office : 0522-2721147/49**  
**Fax : 0522-2721167**  
**E-mail : ctcomhqlu-up@nic.in**  
**:cctup2013@gmail.com**

{ Do. No: ..... Date .....

### **MESSAGE**

The UPGST Act was implemented on 1st July, 2017. Since its inception, till date, various amendments in the Act have been incorporated through Amendment Acts, Ordinances and RoDs ( Removal of Difficulty Orders ) to address the public grievances and make the procedure more taxpayer friendly.


Despite being a mirror image of CGST Act, UPGST Act has its own elements which makes it slightly distinct from the CGST Act. Although many updated versions of CGST Act are available, but not for UPGST Act.

There have been frequent changes in the GST Act in the past few years. Being an ongoing process, the regular updation and compilation ( along with past history ) of the Act had been the need of the hour. With his updated edition, the said requirement has been fulfilled.

The hefty work of updation and compilation of the UPGST Act has been carried out successfully by Mr. Harilal Prajapati, Joint Commissioner (GST), State Tax, UP and Mr. Paritosh Kumar Mishra, Deputy Commissioner (GST), State Tax, UP in association with NTN.

I hope that this tradition will be carried on in the future also.

I strongly believe that this version will be useful for all the Departmental Officers and other Stakeholders.



(Ministhy S.)

Commissioner, State Tax  
U.P.

19 March, 2024



## प्रस्तावना

वर्ष 2017 के जुलाई माह में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को अपनाया गया। तीन वर्ष के अन्तराल में वस्तु एवं सेवा कर के प्राविधानों में केन्द्र एवं राज्य स्तर पर समय-समय पर सरलीकरण हेतु अनेकों बार संशोधन किये गये। उत्तर प्रदेश राज्य में मूल अधिनियम राजकीय भाषा हिन्दी में जारी किये जाते हैं तथा रूपांतरण अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाता है। अर्थात् विधिक उद्देश्यों के हेतु हिन्दी संस्करण की अत्यधिक उपयोगिता होती है। उत्तर प्रदेश के कर प्रशासक एवं कर दाताओं तथा सामान्य जनता हिन्दी में प्रस्तुत सामग्री को अधिक सहजता से स्वीकार करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अद्यतन संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं, **श्रीमती मिनिस्थी एस0, आई0ए0एस0, आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश** को उनके द्वारा किये गये प्रोत्साहन एवं समर्थन का आभारी हूँ।

इस कार्य में सहयोग देने के लिए **नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद** को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस संस्करण को अद्यतन संशोधित करने के कार्य को पूर्ण करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

मुझे पूर्ण आशा है कि प्रस्तुत अद्यतन संस्करण सभी विभागीय सहकर्मियों एवं हितधारकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

**हरिलाल प्रजापति**  
संयुक्त आयुक्त, जीएसटी, राज्य कर  
उत्तर प्रदेश।

**पारितोष कुमार मिश्रा**  
उपायुक्त (टीआरयू)  
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

**उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017**  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)

**अध्याय 1**  
**प्रारंभिक**

धारा 1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	01
धारा 2	परिभाषाएं.—	01
	2.(1) "अनुयोज्य दावे"	01
	2.(2) "परिदान का पता"	02
	2.(3) "अभिलेख पर पता"	02
	2.(4) "न्यायनिर्णयन प्राधिकारी"	02
	2.(5) "अभिकर्ता"	02
	2.(6) "सकल आवर्त"	02
	2.(7) "कृषक"	02
	2.(8) "अपील प्राधिकारी"	03
	2.(9) "अपील अधिकरण"	03
	2.(10) "नियत दिन"	03
	2.(11) "निर्धारण"	03
	2.(12) "सहयुक्त उद्यमों"	03
	2.(13) "संपरीक्षा"	03

	2.(14) "प्राधिकृत बैंक"	03
	2.(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि"	04
	2.(16) "बोर्ड"	04
	2.(17) "कारबार"	04
	2.(18) [विलोपित]	05
	2.(19) "पूँजी माल"	05
	2.(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति"	05
	2.(21) "केन्द्रीय कर"	05
	2.(22) "उपकर"	05
	2.(23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट"	06
	2.(24) "आयुक्त"	06
	2.(25) "बोर्ड का आयुक्त"	06
	2.(26) "सामान्य पोर्टल"	06
	2.(27) "सामान्य कार्य दिवस"	06
	2.(28) "कंपनी सचिव"	06
	2.(29) "सक्षम प्राधिकारी"	06
	2.(30) "संयुक्त पूर्ति"	06
	2.(31) "प्रतिफल"	07
	2.(32) "माल का निरंतर पूर्ति"	07

	2.(33) "सेवाओं की निरंतर पूर्ति"	07
	2.(34) "प्रवहण"	07
	2.(35) "लागत लेखापाल"	07
	2.(36) "परिषद्"	08
	2.(37) "जमापत्र"	08
	2.(38) "नामे नोट"	08
	2.(39) "समझा गया निर्यात"	08
	2.(40) "अभिहित प्राधिकारी"	08
	2.(41) "दस्तावेज"	08
	2.(42) "चुंगी वापसी"	08
	2.(43) "इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते"	08
	2.(44) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य"	09
	2.(45) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक"	09
	2.(46) "इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते"	09
	2.(47) "छूट प्राप्त पूर्ति"	09
	2.(48) "विद्यमान विधि"	09
	2.(49) "कुटुंब"	09
	2.(50) "नयत स्थापन"	09
	2.(51) "निधि"	10

	2.(52) "माल"	10
	2.(53) "सरकार"	10
	2.(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम"	10
	2.(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी"	10
	2.(56) "भारत"	10
	2.(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम"	10
	2.(58) "एकीकृत कर"	11
	2.(59) "इनपुट"	11
	2.(60) "इनपुट सेवा"	11
	2.(61) "इनपुट सेवा वितरक"	11
	2.(62) "इनपुट कर"	11
	2.(63) "इनपुट कर प्रत्यय"	12
	2.(64) "माल की अन्तःराज्यीय पूर्ति"	12
	2.(65) "सेवाओं की अन्तःराज्यीय पूर्ति"	12
	2.(66) "बीजक" या "कर बीजक"	12
	2.(67) "आवक पूर्ति"	12
	2.(68) "छुटपुट कार्य"	12
	2.(69) "स्थानीय प्राधिकारी"	12
	2.(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान"	13



	2.(71) "सेवाओं के पूर्तिकर्ता का अवस्थान"	13
	2.(72) "विनिर्माण"	13
	2.(73) "बाजार मूल्य"	14
	2.(74) "मिश्रित पूर्ति"	14
	2.(75) "धन"	14
	2.(76) "मोटर यान"	14
	2.(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति"	14
	2.(78) "गैर-कराधेय पूर्ति"	14
	2.(79) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र"	15
	2.(80) "अधिसूचना"	15
	2.(80क) ऑनलाइन गेम खेलना	15
	2.(80) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना	15
	2.(81) "अन्य राज्यक्षेत्र"	15
	2.(82) "आउटपुट कर"	15
	2.(83) "जावक पूर्ति"	15
	2.(84) "व्यक्ति"	15
	2.(85) "कारबार के स्थान"	16
	2.(86) "पूर्ति का स्थान"	17
	2.(87) "विहित"	17

	2.(88) "प्रधान"	17
	2.(89) "कारबार का मुख्य स्थान"	17
	2.(90) "मुख्य पूर्ति"	17
	2.(91) "उचित अधिकारी"	17
	2.(92) "तिमाही"	17
	2.(93) "प्राप्तिकर्ता"	17
	2.(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति"	18
	2.(95) "विनियम"	18
	2.(96) "हटाए जाने"	18
	2.(97) "विवरणी"	18
	2.(98) "प्रतिलोम प्रभार"	18
	2.(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी"	19
	2.(100) "अनुसूची"	19
	2.(101) "प्रतिभूति"	19
	2.(102) "सेवाओं"	19
	2.(102) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दाव"	19
	2.(103) "राज्य"	20
	2.(104) "राज्य कर"	20
	2.(105) "पूर्तिकर्ता"	20

	2.(106) "कर अवधि"	20
	2.(107) "कराधेय व्यक्ति"	20
	2.(108) "कराधेय पूर्ति"	20
	2.(109) "कराधेय राज्यक्षेत्र"	20
	2.(110) "दूर-संचार सेवा"	21
	2.(111) "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम"	21
	2.(112) "राज्य के आवर्त"	21
	2.(113) "प्राथिक निवास स्थान"	21
	2.(114) "संघ राज्यक्षेत्र"	21
	2.(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर"	22
	2.(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम"	22
	2.(117) "विधिमान्य विवरणी"	22
	2. (117क) "आभासी डिजिटल आस्ति"	22
	2.(118) "वाऊचर"	22
	2.(119) "कार्य संविदा"	22
	2.(120) "शब्दों और पदों का प्रयोग"	23
अध्याय 2 प्रशासन		
धारा 3	इस अधिनियम के अधीन अधिकारी	24

धारा 4	अधिकारियों की नियुक्ति	24
धारा 5	अधिकारियों की शक्तियां	24
धारा 6	कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाना	25

<b>अध्याय 3</b> <b>कर का उद्ग्रहण और संग्रहण</b>		
धारा 7	पूर्ति की परिधि	26
धारा 8	किसी संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों पर कर का दायित्व	26
धारा 9	उद्ग्रहण और संग्रहण	26
धारा 10	प्रशमन उद्ग्रहण	26
धारा 11	कर से छूट देने की शक्ति	31
<b>अध्याय 4</b> <b>पूर्ति का समय और मूल्य</b>		
धारा 12	माल की पूर्ति का समय	33
धारा 13	सेवाओं की पूर्ति का समय	34
धारा 14	माल या सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन	35
धारा 15	कराधेय पूर्ति का मूल्य	36

अध्याय 5 इनपुट कर प्रत्यय		
धारा 16	इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें	38
धारा 17	प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन	40
धारा 18	विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता	43
धारा 19	छुटपुट काम के लिए किए गए निवेशों और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना	44
धारा 20	इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति	45
धारा 21	आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति	46
अध्याय 6 रजिस्ट्रीकरण		
धारा 22	रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति	47
धारा 23	व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी नहीं है	48
धारा 24	कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण	48
धारा 25	रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया	49
धारा 26	रजिस्ट्रीकरण समझा जाना	51
धारा 27	आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध	52
धारा 28	रजिस्ट्रीकरण का संशोधन	52
धारा 29	रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण [या निलंबन]	53
धारा 30	रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण	54

<b>अध्याय 7</b> <b>कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट</b>		
धारा 31	कर बीजक	56
धारा 31क	प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा	57
धारा 32	कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध	58
धारा 33	कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम	58
धारा 34	जमा और नामे पत्र	58
<b>अध्याय 8</b> <b>लेखे और अभिलेख</b>		
धारा 35	लेखे और अन्य अभिलेख	60
धारा 36	लेखों के प्रतिधारण की अवधि	61
<b>अध्याय 9</b> <b>विवरणियां</b>		
धारा 37	जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना	62
धारा 38	आवक पूर्ति के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय की संसूचना	63
धारा 39	विवरणियां देना	65
धारा 40	प्रथम विवरणी	68
धारा 41	इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति	68
धारा 42	[विलोपित]	68

धारा 43	[विलोपित]	68
धारा 43क	[विलोपित]	68
धारा 44	वार्षिक विवरणी	70
धारा 45	अंतिम विवरणी	71
धारा 46	विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना	72
धारा 47	विलंब फीस का उद्ग्रहण	73
धारा 48	माल और सेवा कर व्यवसायी	73
<b>अध्याय 10</b> <b>कर संदाय</b>		
धारा 49	कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय	74
धारा 49क	कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग	76
धारा 49ख	इनपुट कर प्रत्यय में उपयोग का आदेश	76
धारा 50	विलंबित कर संदाय पर ब्याज	76
धारा 51	स्रोत पर कर कटौती	77
धारा 52	स्रोत पर कर का संग्रहण	78
धारा 53	इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण	81
धारा 53क	कतिपय रकमों का अंतरण	81

अध्याय 11 प्रतिदाय		
धारा 54	कर प्रतिदाय	82
धारा 55	कतिपय मामलों में प्रतिदाय	86
धारा 56	विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज	86
धारा 57	उपभोक्ता कल्याण निधि	86
धारा 58	निधि का उपयोग	87



<b>अध्याय 12</b>		
<b>निर्धारण</b>		
धारा 59	स्वतः निर्धारण	88
धारा 60	अनंतिम निर्धारण	88
धारा 61	विवरणियों की संवीक्षा	88
धारा 62	विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण	89
धारा 63	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण	89
धारा 64	कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण	89
<b>अध्याय 13</b>		
<b>लेखापरीक्षा</b>		
धारा 65	कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा	91
धारा 66	विशेष लेखापरीक्षक	91
<b>अध्याय 14</b>		
<b>निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी</b>		
धारा 67	निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति	93
धारा 68	संचलन में मालों का निरीक्षण	94
धारा 69	गिरफ्तार करने की शक्ति	95
धारा 70	व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति	95
धारा 71	कारबार परिसरों तक पहुँच	95

धारा 72	समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी	96
<b>अध्याय 15</b> <b>मांग और वसूली</b>		
धारा 73	असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाए गए कर का अवधारण	97
धारा 74	असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाए गए कर का अवधारण	98
धारा 75	कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध	99
धारा 76	संगृहित किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर	100
धारा 77	गलती से संगृहित किया गया और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर	101
धारा 78	वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना	101
धारा 79	कर की वसूली	102
धारा 80	कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय	104
धारा 81	कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना	104
धारा 82	कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना	104
धारा 83	कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कृर्की	104
धारा 84	कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण	105

अध्याय 16 कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व		
धारा 85	सरकार के अंतरण की दशा में दायित्व	106
धारा 86	अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व	106
धारा 87	कंपनियों के सम्मेलन या विलयन की दशा में दायित्व	106
धारा 88	परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व	106
धारा 89	प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व	107
धारा 90	फर्म के भागीदारों के कर का संदाय करने के लिए दायित्व	107
धारा 91	अभिरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व	107
धारा 92	प्रतिपाल्य अधिकरण आदि का दायित्व	108
धारा 93	कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध	108
धारा 94	अन्य मामलों में दायित्व	109
अध्याय 17 अग्रिम विनिर्णय		
धारा 95	परिभाषाएं	110
	95.(क) "अग्रिम विनिर्णय"	110
	95.(ख) "अपील"	110
	95.(ग) "आवेदक"	110
	95.(घ) "आवेदन"	110

	95.(ड़) "प्राधिकरण"	110
	95.(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण"	110
धारा 96	अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन	111
धारा 97	अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन	111
धारा 98	आवेदन की प्राप्ति की प्रक्रिया	111
धारा 99	अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन	112
धारा 100	अपील प्राधिकरण को अपील	112
धारा 101	अपील प्राधिकारी के आदेश	113
धारा 101क	राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन	113
धारा 101ख	राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील	113
धारा 101ग	राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश	114
धारा 102	अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि	114
धारा 103	अग्रिम विनिर्णय का लागू होना	114
धारा 104	कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना	115
धारा 105	प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां	115
धारा 106	प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया	116

अध्याय 18 अपील और पुनरीक्षण		
धारा 107	अपील प्राधिकारी को अपीलें	117
धारा 108	पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां	118
धारा 109	अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें	120
धारा 110	[विलोपित]	120
धारा 111	अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया	120
धारा 112	अपील अधिकरण को अपील	121
धारा 113	अपील अधिकरण के आदेश	123
धारा 114	[विलोपित]	123
धारा 115	अपील के दाखिल करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज	123
धारा 116	प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी	124
धारा 117	उच्च न्यायालय को अपील	125
धारा 118	उच्चतम न्यायालय को अपील	126
धारा 119	राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त किए जाने है	126
धारा 120	कतिपय मामलों में अपील का फाइल किया जाना	127
धारा 121	अपील न किए जाने वाले विनिश्चय और आदेश	127

अध्याय 19 अपराध और शास्तियां		
धारा 122	कतिपय अपराधों के लिए शास्ति	128
धारा 123	सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति	130
धारा 124	आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना	130
धारा 125	साधारण व्यक्ति	130
धारा 126	शास्ति से संबंधित साधारण विधाएं	131
धारा 127	कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति	131
धारा 128	शास्ति या फीस या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति	131
धारा 129	अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण	131
धारा 130	माल की जब्ती या प्रवहण और शास्ति का उद्ग्रहण	133
धारा 131	जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा	134
धारा 132	कतिपय अपराधों के लिए दंड	134
धारा 133	अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व	137
धारा 134	अपराध का संज्ञान	137
धारा 135	आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान	137
धारा 136	कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता	137
धारा 137	कंपनियों द्वारा अपराध	138
धारा 138	अपराधों का प्रशमन	138

अध्याय 20 संक्रमणकालीन उपबंध		
धारा 139	विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन	140
धारा 140	निवेश प्रतिदेय कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं	140
धारा 141	फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध	142
धारा 142	प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध	144
अध्याय 21 प्रकीर्ण		
धारा 143	छुटपुट कार्य की प्रक्रिया	148
धारा 144	कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा, छूट प्राप्त	149
धारा 145	दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की माइक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता	149
धारा 146	सामान्य पोर्टल	150
धारा 147	निर्यात समझा जाना	150
धारा 148	कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति	150
धारा 149	माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग	150
धारा 150	सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता	150
धारा 151	सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति	152
धारा 152	सूचना के प्रकटन पर वर्जन	152
धारा 153	किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना	153

धारा 154	नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति	153
धारा 155	सबूत का भार	153
धारा 156	व्यक्ति लोकसेवक समझा जायेगा	153
धारा 157	इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण	153
धारा 158	लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना	153
धारा 158 क		155
धारा 159	कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन	155
धारा 160	कतिपय स्तरों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना	155
धारा 161	अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोध	156
धारा 162	सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन	156
धारा 163	फीस उदग्रहण	156
धारा 164	नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति	156
धारा 165	विनियम बनाने की शक्ति	157
धारा 166	नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना	157
धारा 167	शक्तियों का प्रत्यायोजन	157
धारा 168	अनुदेशों या निदेशों को जारी करना	157
धारा 168क	विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति	157
धारा 169	कतिपय मामलों में नोटिस की तामील	158
धारा 170	कर का पूर्णांकन आदि	158



धारा 171	मुनाफाखोरी निरोध उपाय	158
धारा 172	कठिनाइयों को दूर करना	159
धारा 173	कतिपय अधिनियमों का संशोधन	159
धारा 174	निरसन और व्यावृत्ति	160
अनुसूची 1	क्रियाकलापों को पूर्ति के में माना जाए भले ही बिना प्रतिफल के किया गया हो।	162
अनुसूची 2	क्रियाकलापों या संव्यवहार को माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाए	163
अनुसूची 3	क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति	166



# उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 897/79/वि-1-17-1-(क)-1-17

लखनऊ, 19 मई, 2017

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर दिनांक 18 मई, 2017 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंतःराज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, गजट में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

#### 2. परिभाषाएं.—

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

##### 2.(1) “अनुयोज्य दावे”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अनुयोज्य दावे” का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882<sup>1</sup> की धारा 3 में उसके लिए समनुदेशित है;

<sup>1</sup> अधिनियम संख्या 4 सन् 1882

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## 2.(2) "परिदान का पता"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है;

## 2.(3) "अभिलेख पर पता"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(3) "अभिलेख पर पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो पूर्तिकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है;

## 2.(4) "न्यायनिर्णयन प्राधिकारी"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(4) "न्यायनिर्णयन प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, [राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण]<sup>2</sup>, [अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा 171 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी]<sup>3</sup> नहीं है;

## 2.(5) "अभिकर्ता"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(5) "अभिकर्ता" से फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढतिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है;

## 2.(6) "सकल आवर्त"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(6) "सकल आवर्त" से सभी कराधेय पूर्तियों (ऐसी आवक पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिन पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त पूर्तियों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अखिल भारतीय आधार पर संगणित समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

## 2.(7) "कृषक"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(7) "कृषक" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो,

(क) स्वयं के श्रम द्वारा; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

<sup>2</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

<sup>3</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा, भूमि पर खेती करता है ;

### 2.(8) "अपील प्राधिकारी"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(8) "अपील प्राधिकारी" से अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

### 2.(9) "अपील अधिकरण"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(9) "अपील अधिकरण" से धारा 109 के अधीन निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

### 2.(10) "नियत दिन"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(10) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे

### 2.(11) "निर्धारण"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(11) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वतःनिर्धारण, पुनः निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी है ;

### 2.(12) "सहयुक्त उद्यमों"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961<sup>4</sup> की धारा 92क में उसके लिए समनुदेशित है;

### 2.(13) "संपरीक्षा"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(13) "संपरीक्षा" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है;

### 2.(14) "प्राधिकृत बैंक"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है;

4. अधिनियम संख्या 43 सन् 1961

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

**2.(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

**2.(16) "बोर्ड"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(16) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963<sup>5</sup> के अधीन गठित [केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड]<sup>6</sup> अभिप्रेत है ;

**2.(17) "कारबार"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो।

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं की पूर्ति या अर्जन;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, पूर्ति की गई सेवाएं;

[(ज) योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुकमेकर हेतु घुड़दौड़ क्लब सहित उसके क्रियाकलाप या ऐसे क्लब में अनुज्ञप्ति प्राप्त बुक मेकर के क्रियाकलाप; और]<sup>7</sup>

(झ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं;

5. अधिनियम संख्या 54 सन् 1963

6. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

7. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपखंड निम्न प्रकार था :-

“(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति, और”

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

**2.(18) "कारबार शीर्षका"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(18) [\*\*\*]<sup>8</sup>

**2.(19) "पूजी माल"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(19) "पूजी माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

**2.(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे क्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है;

**2.(21) "केन्द्रीय कर"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(21) "केन्द्रीय कर" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>9</sup> की धारा-9 के अधीन उद्ग्रहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

**2.(22) "उपकर"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(22) "उपकर" का यही अर्थ होगा, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम 2017<sup>10</sup> में उसके लिए समनुदेशित है;

8. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा विलोपित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। विलोपन से पूर्व खण्ड निम्न प्रकार था :-

"(18) "कारबार शीर्षका" से किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक-पृथक माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यक्षीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं की पूर्ति में प्रयुक्त पद्धतियां; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं;"

9. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

10. अधिनियम संख्या-15 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

**2.(23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949<sup>11</sup> की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है ;

**2.(24) "आयुक्त"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(24) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त, विशेष आयुक्त या अपर आयुक्त भी है;

**2.(25) "बोर्ड का आयुक्त"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(25) "बोर्ड का आयुक्त" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>12</sup> की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;

**2.(26) "सामान्य पोर्टल"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(26) "सामान्य पोर्टल" से धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल अभिप्रेत है;

**2.(27) "सामान्य कार्य दिवस"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(27) "सामान्य कार्य दिवस" से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित नहीं किया गया है;

**2.(28) "कंपनी सचिव"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(28) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980<sup>13</sup> की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है ;

**2.(29) "सक्षम प्राधिकारी"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

**2.(30) "संयुक्त पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(30) "संयुक्त पूर्ति" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता से की गयी कोई ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय पूर्तियों से मिलकर बनी है या उनका कोई

11. अधिनियम संख्या-38 सन् 1949

12. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

13. अधिनियम संख्या-56 सन् 1980



ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और पूर्ति किया गया है, जिनमें एक मूल पूर्ति है;

दृष्टांत : जहां माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहां माल की पूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त पूर्ति होगा और माल की पूर्ति एक मुख्य पूर्ति होगा।

### 2.(31) "प्रतिफल"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(31) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायकी सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए किसी कार्य या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी ;

परंतु माल या सेवाओं या दोनों के पूर्ति के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे पूर्ति के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि पूर्तिकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करें;

### 2.(32) "माल का निरंतर पूर्ति"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(32) "माल का निरंतर पूर्ति" से माल का ऐसा पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर पूर्तिकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो यह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है;

### 2.(33) "सेवाओं की निरंतर पूर्ति"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(33) "सेवाओं की निरंतर पूर्ति" से सेवाओं की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पूर्ति भी है ;

### 2.(34) "प्रवहण"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(34) "प्रवहण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है;

### 2.(35) "लागत लेखापाल"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(35) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959<sup>14</sup> की धारा 2 की उपधारा (1) के [खंड (ख)]<sup>15</sup> में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

14. अधिनियम संख्या-23 सन् 1959

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

**2.(36) "परिषद्"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(36) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

**2.(37) "जमापत्र"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(37) "जमापत्र" से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

**2.(38) "नामे नोट"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(38) "नामे नोट" से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

**2.(39) "समझा गया निर्यात"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(39) "समझा गया निर्यात" से माल की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

**2.(40) "अभिहित प्राधिकारी"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

**2.(41) "दस्तावेज"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000<sup>16</sup> की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी है;

**2.(42) "चुंगी वापसी"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

**2.(43) "इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(43) "इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते" से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता अभिप्रेत है;

15. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "खंड (ग)" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

16. अधिनियम संख्या-21 सन् 2000

**2.(44) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(44) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य" से माल या सेवाओं या दोनों की डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से पूर्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल उत्पाद भी हैं;

**2.(45) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(45) "इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

**2.(46) "इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(46) "इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते" से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता अभिप्रेत है;

**2.(47) "छूट प्राप्त पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(47) "छूट प्राप्त पूर्ति" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>17</sup> की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय पूर्ति भी है;

**2.(48) "विद्यमान विधि"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(48) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले विधानमण्डल या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ;<sup>18</sup>

**2.(49) "कुटुंब"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,—

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक; और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित हैं ;

**2.(50) "नयत स्थापन"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(50) "नयत स्थापन" से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग

17. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

18. अधिनियम संख्या-15 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है ;

### 2.(51) "निधि"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(51) "निधि" से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

### 2.(52) "माल"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(52) "माल" से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसकी पूर्ति के पूर्व या पूर्ति की संविदा के अधीन पृथक किए जाने का करार किया गया है ;

### 2.(53) "सरकार"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(53) "सरकार" से उत्तर प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

### 2.(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

### 2.(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है ;

### 2.(56) "भारत"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(56) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976<sup>19</sup> में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ;

### 2.(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>20</sup> अभिप्रेत है ;

19. अधिनियम संख्या-80 सन् 1976

20. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

**2.(58) "एकीकृत कर"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(58) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>21</sup> के अधीन उद्गृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

**2.(59) "इनपुट"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(59) "इनपुट" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है ;

**2.(60) "इनपुट सेवा"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(60) "इनपुट सेवा" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी पूर्तिकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है ;

**2.(61) "इनपुट सेवा वितरक"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है ;

**2.(62) "इनपुट कर"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से माल या सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति पर प्रभारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>22</sup> की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>23</sup> की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

किंतु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है ;

<sup>21</sup>. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

<sup>22</sup>. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

<sup>23</sup>. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

**2.(63) "इनपुट कर प्रत्यय"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है ;

**2.(64) "माल की अन्तःराज्यीय पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(64) "माल की अन्तःराज्यीय पूर्ति" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>24</sup> की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है ;

**2.(65) "सेवाओं की अन्तःराज्यीय पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(65) "सेवाओं की अन्तःराज्यीय पूर्ति" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>25</sup> की धारा 8 में उसके लिए समनुदेशित है ;

**2.(66) "बीजक" या "कर बीजक"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है ;

**2.(67) "आवक पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक पूर्ति" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है ;

**2.(68) "छुटपुट कार्य"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(68) "छुटपुट कार्य" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

**2.(69) "स्थानीय प्राधिकारी"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत हैं,—

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ड़) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

(घ) छावनी अधिनियम, 2006<sup>26</sup> की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड

24. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

25. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

- (ड) संविधान की छठवीं अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद्;  
 (च) संविधान के अनुच्छेद 371 [और अनुच्छेद 371ज]<sup>27</sup> के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या  
 (छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

## 2.(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

### (70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से,—

- (क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;  
 (ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;  
 (ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां पूर्ति की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;  
 (घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

## 2.(71) "सेवाओं के पूर्तिकर्ता का अवस्थान"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

### (71) "सेवाओं के पूर्तिकर्ता का अवस्थान" से,—

- (क) जहां पूर्ति कारबार के ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;  
 (ख) जहां पूर्ति कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;  
 (ग) जहां पूर्ति एक से अधिक स्थापनों से की जाती है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां पूर्ति की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ; और  
 (घ) ऐसे स्थानों के अभाव में पूर्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

## 2.(72) "विनिर्माण"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(72) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या इनपुट का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

26. अधिनियम संख्या-41 सन् 2006

27. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "और अनुच्छेद 371ज" बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

**2.(73) "बाजार मूल्य"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(73) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और पूर्तिकर्ता संबंधित नहीं है, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है ;

**2.(74) "मिश्रित पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(74) "मिश्रित पूर्ति" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक-पृथक पूर्ति अभिप्रेत है, जहां ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति गठित नहीं होता है।

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज की पूर्ति, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह पूर्ति मिश्रित पूर्ति होगी। इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी पूर्ति किया जा सकती है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा। यदि इन मदों का अलग-अलग पूर्ति की जाती है तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगी ;

**2.(75) "धन"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलेक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखित अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है ;

**2.(76) "मोटर यान"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर या अधिनियम, 1988<sup>28</sup> की धारा 2 के खंड (28) में उसके लिए समनुदेशित है ;

**2.(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा, कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

**2.(78) "गैर-कराधेय पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(78) "गैर-कराधेय पूर्ति" से माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>29</sup> के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है ;

28. अधिनियम संख्या-59 सन् 1988

29. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017



**2.(79) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(79) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है ;

**2.(80) "अधिसूचना"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

**[2. (80क) "ऑनलाइन गेम खेलना"**

(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

**2. (80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना"**

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं; <sup>30</sup>

**2.(81) "अन्य राज्यक्षेत्र"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ड) में निर्दिष्ट हैं ;

**2.(82) "आउटपुट कर"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(82) "आउटपुट कर" किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किंतु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;

**2.(83) "जावक पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(83) "जावक पूर्ति" किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक पूर्ति" से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से की गई पूर्ति अभिप्रेत है ;

<sup>30</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ाया गया ।

**2.(84) "व्यक्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

- (क) कोई व्यक्ति ;
- (ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;
- (ग) कोई कंपनी ;
- (घ) कोई फर्म ;
- (ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;
- (च) कोई व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;
- (छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013<sup>31</sup> की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;
- (ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय;
- (झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;
- (ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;
- (ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;
- (ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860<sup>32</sup> के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ;
- (ड) न्यास ; और
- (ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

**2.(85) "कारबार के स्थान"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

- (क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है या प्राप्त करता है ; या
- (ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या
- (ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

31. अधिनियम संख्या-18 सन् 2013

32. अधिनियम संख्या-21 सन् 1860

**2.(86) "पूर्ति का स्थान"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(86) "पूर्ति का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>33</sup> के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट पूर्ति का स्थान अभिप्रेत है ;

**2.(87) "विहित"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(87) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

**2.(88) "प्रधान"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(88) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति का कारबार करता है ;

**2.(89) "कारबार का मुख्य स्थान"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है ;

**2.(90) "मुख्य पूर्ति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(90) "मुख्य पूर्ति" से ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त पूर्ति के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त पूर्ति के भागरूप कोई अन्य पूर्ति आनुषंगिक है ;

**2.(91) "उचित अधिकारी"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

**2.(92) "तिमाही"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(92) "तिमाही" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलेंडर मास समाविष्ट हों;

**2.(93) "प्राप्तिकर्ता"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(93) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के "प्राप्तिकर्ता" से,—

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है ;

33. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(ख) जहां माल की पूर्ति के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) जहां किसी सेवा की पूर्ति के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निर्देश का, जिसे पूर्ति की गई है, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा ;

## 2.(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

## 2.(95) "विनियम"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(95) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

## 2.(96) "हटाए जाने"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से,—

(क) उसके पूर्तिकर्ता द्वारा या ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है ; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है ;

## 2.(97) "विवरणी"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(97) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है ;

## 2.(98) "प्रतिलोम प्रभार"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(98) "प्रतिलोम प्रभार" से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>34</sup> की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता के बजाए माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है ;

34. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

**2.(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 108 में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

**2.(100) "अनुसूची"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

**2.(101) "प्रतिभूति"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956<sup>35</sup> की धारा 2 के खंड (ज) उसके लिए समनुदेशित हैं ;

**2.(102) "सेवाओं"**

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कोई भी अभिप्रेत है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं ;

[**स्पष्टीकरण**—शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि पद "सेवाओं" में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या उनका प्रबंध करना सम्मिलित हैं; ]<sup>36</sup>

**[2. (102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,—**

(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,—

- (i) दांव लगाने;
- (ii) कैसिनो;
- (iii) द्यूतक्रीड़ा;
- (iv) घुड़दौड़;
- (v) लाटरी; या
- (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,"

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है ]<sup>37</sup>

**2.(103) "राज्य"**

**35.** अधिनियम संख्या-42 सन् 1956

**36.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**37.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ाया गया ।

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(103) “राज्य” से उत्तर प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;

### 2.(104) “राज्य कर”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(104) “राज्य कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है ;

### 2.(105) “पूर्तिकर्ता”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में “पूर्तिकर्ता” से उक्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे पूर्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

[परंतु यह कि कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार पर लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिदाता हो।<sup>38</sup>

### 2.(106) “कर अवधि”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(106) “कर अवधि” से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है ;

### 2.(107) “कराधेय व्यक्ति”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(107) “कराधेय व्यक्ति” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;

### 2.(108) “कराधेय पूर्ति”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(108) “कराधेय पूर्ति” से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्घटनीय है ;

### 2.(109) “कराधेय राज्यक्षेत्र”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(109) “कराधेय राज्यक्षेत्र” से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं;

38. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञापित संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ाया गया ।

## 2.(110) "दूर-संचार सेवा"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(110) "दूर-संचार सेवा" से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, ऑडियो टैक्सट सर्विस, वीडियो टैक्सट सर्विस, रेडियो पेंजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ;

## 2.(111) "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(111) "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>39</sup> अभिप्रेत है ;

## 2.(112) "राज्य के आवर्त"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(112) "राज्य के आवर्त" से या संघ राज्यक्षेत्र के आवर्त से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए (ऐसी आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय पूर्तियों और छूट प्राप्त पूर्तियों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अन्तरराज्यिक पूर्ति का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

## 2.(113) "प्रायिक निवास स्थान"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से,—

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यक्ति निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

## 2.(114) "संघ राज्यक्षेत्र"

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से,—

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप;

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव ;

(घ) लद्दाख<sup>40</sup>

<sup>39</sup>. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

<sup>40</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों "(ग) दादरा और नागर हवेली ; (घ) दमन और दीव ;" प्रतिस्थापित किया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(ड़) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

## 2.(115) “संघ राज्यक्षेत्र कर”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(115) “संघ राज्यक्षेत्र कर” से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>41</sup> के अधीन उदगृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

## 2.(116) “संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(116) “संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम” से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>42</sup> अभिप्रेत है ;

## 2.(117) “विधिमान्य विवरणी”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(117) “विधिमान्य विवरणी” से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वतः निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है ;

## 2. (117क) “आभासी डिजिटल आस्ति”

(117क) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसके लिए समनुदेशित है। ]<sup>43</sup>

## 2.(118) “वाऊचर”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(118) “वाऊचर” से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां पूर्ति किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी पूर्तिकारों की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं ;

## 2.(119) “कार्य संविदा”

इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(119) “कार्य संविदा” से जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) सम्पत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना

41. अधिनियम संख्या-14 सन् 2017

42. अधिनियम संख्या-14 सन् 2017

43. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञापित संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ाया गया ।



करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है ;

**2.(120) “शब्दों और पदों का प्रयोग”** इस अधिनियम में, जब तक तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

**(120)** उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>44</sup>, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>45</sup>, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>46</sup> तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम 2017<sup>47</sup> में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके लिए उन अधिनियमों में समनुदेशित हैं ;

---

**44.** अधिनियम संख्या—13 सन् 2017

**45.** अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

**46.** अधिनियम संख्या—14 सन् 2017

**47.** अधिनियम संख्या—15 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अध्याय 2

## प्रशासन

## 3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी—

सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :-

- (क) राज्य कर प्रधान आयुक्त/मुख्य आयुक्त या आयुक्त ;
- (ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;
- (ग) राज्य कर अपर आयुक्त ;
- (घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;
- (ङ) राज्य कर उपायुक्त ;
- (च) राज्य कर सहायक आयुक्त
- (छ) राज्य कर अधिकारी ; तथा
- (ज) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

परंतु उत्तर प्रदेश मूल्यसंवर्धित कर अधिनियम 2008<sup>48</sup> के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।

## 4. अधिकारियों की नियुक्ति—

- (1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे।
- (2) आयुक्त के पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी, विशेष आयुक्त तथा किसी अपर आयुक्त को समनुदेशित समस्त कृत्यों या किसी कृत्य के सम्बन्ध में उनके पास सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा जहां राज्य सरकार निदेश दे राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र की अधिकारिता होगी और अन्य समस्त अधिकारियों के पास यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सम्पूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी अथवा ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी जैसा कि आयुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

## 5. अधिकारियों की शक्तियां—

- (1) राज्य कर का अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (2) राज्य कर का अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर के अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा।
- (4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर के अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

<sup>48</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008

## 6. कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाना—

(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>49</sup> के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>50</sup> के अधीन, केन्द्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश देगा ;

(ख) जहां केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>51</sup> के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>52</sup> के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

49. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

50. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

51. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

52. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अध्याय 3

## कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

## 7. पूर्ति की परिधि—

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "पूर्ति" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सभी प्ररूप ;

[(कक) किसी व्यक्ति, जो किसी व्यष्टि से भिन्न हो, द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक व्यक्ति समझा जाएगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए समझे जाएंगे।<sup>53</sup>

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ; [और]<sup>54</sup>

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; [\*\*\*]<sup>55</sup>

(घ) [\*\*\*]<sup>56</sup>

[(1क) जहाँ उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कतिपय क्रिया कलापों या संव्यवहारों की पूर्ति होती हो, वहाँ उन्हें अनुसूची-2 में निर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।<sup>57</sup>

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

**53.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी।

**54.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी।

**55.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "और" हटाया गया एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी।

**56.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा विलोपित एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी। विलोपन से पूर्व खण्ड निम्न प्रकार था :—

"अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माने गए क्रियाकलाप।"

**57.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(ख) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल की पूर्ति के रूप में और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

(3) [उपधारा (1), (1क) और (2)]<sup>58</sup> के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,—

(क) माल की पूर्ति के रूप में, न कि सेवाओं की पूर्ति के रूप में ;

(ख) सेवाओं की पूर्ति के रूप में, न कि माल की पूर्ति के रूप में,

माना जाएगा।

## 8. किसी संयुक्त और मिश्रित पूर्तियों पर कर का दायित्व—

किसी संयुक्त या मिश्रित पूर्ति पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त पूर्ति को, जिसमें से एक मुख्य है, ऐसी मुख्य पूर्ति की पूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक पूर्तियों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित पूर्ति को उस विशिष्ट पूर्ति की पूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है।

## 9. उद्ग्रहण और संग्रहण—

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान की पूर्ति को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अन्तःराज्यीय पूर्तियों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, उत्तर प्रदेश राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, उद्ग्रहण किया जाएगा तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा।

(2) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन की पूर्ति पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

[4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक ऐसे वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के सम्बन्ध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे और इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध ऐसे प्राप्तिकर्ता

58. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "उपधारा (1) और उपधारा (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी।

के प्रति लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति हो जो माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी हो।<sup>59</sup>

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अन्तःराज्यीय पूर्तियों पर कर, यदि सेवाओं की पूर्ति इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा पूर्तिकर्ता है जो ऐसी सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

### 10. प्रशमन उद्ग्रहण—

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किया जाए, [धारा 9 की उपधारा (i) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर]<sup>60</sup> जो विहित की जाए, किंतु जो,—<sup>61</sup>

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य पूर्तिकर्ताओं की दशा में, राज्य में आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

**59.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपखंड निम्नलिखित था:—

“(4) किसी ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तिकर्ता के संबंध में कर के संदाय का दायी है।”

**60.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा “उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर आगणित धनराशि” के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**61.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (छूटा कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-806/ग्यारह-9(42)/17-2019 लखनऊ :: दिनांक :: मई 28, 2019 द्वारा निम्न प्रकार स्पष्टीकरण किया गया:—

“यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य, जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा—

(i) धारा 10 की उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन प्रशमन योजना के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में,

(ii) प्रशमन योजना के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में।”

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को [एक करोड़ पचास लाख रूपए]<sup>62</sup> से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

[परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर संदाय करने का विकल्प ग्रहण करता है, राज्य में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आवर्त के अनधिक दस प्रतिशत मूल्य की सेवाओं (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपये, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकता है।]<sup>63</sup>

**[स्पष्टीकरण. 1—**द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्रदत्त छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।]<sup>64</sup>

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

[(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;]<sup>65</sup>

(ख) वह ऐसे किसी माल [या सेवाओं]<sup>66</sup> की पूर्ति करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(ग) वह माल [या सेवाओं]<sup>67</sup> के किसी अंतरराज्यिक जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी [[विलोपित]<sup>68</sup> सेवाओं]<sup>69</sup> की पूर्ति करने में नहीं लगा है ; [\*\*\*]<sup>70</sup>

**62.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "एक करोड़ रूपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**63.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।।

**64.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**65.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपखंड निम्नलिखित था :—

“(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है ;”

**66.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी।

**67.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी।

**68.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "माल या" विलोपित।

**69.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी।

**70.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा शब्द "और" हटाया गया।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

(ड) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, [अधिसूचित किया जाए ;और]71

[(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:]72

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम 1961<sup>73</sup> के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।

[(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,—

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिये उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से [विलोपित]74 सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है या न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन योजना का तब तक के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं”:]75

71. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा “अधिसूचित किया जाए” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।।

72. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

73. अधिनियम संख्या-43 सन् 1961

74. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा “माल या” विलोपित।

75. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।



(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त [यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)]<sup>76</sup> के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको [यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)]<sup>77</sup> के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा की गई पूर्तियों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, [यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)]<sup>78</sup> के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

**[स्पष्टीकरण 1]**—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पद “सकल आवर्त” के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की आपूर्तियां सम्मिलित होंगी जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी बन जाता है, किन्तु इसमें सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।

**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, पद “राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त” में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:—

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की पूर्तियां, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) सेवाओं की ऐसी करमुक्त पूर्ति, जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हो और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।<sup>79</sup>

## 11. कर से छूट देने की शक्ति—

(1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति

**76.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा “उपधारा (1)” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**77.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा “उपधारा (1)” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**78.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा “उपधारा (1)” के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**79.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017<sup>80</sup> की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।

---

80. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

## अध्याय 4

## पूर्ति का समय और मूल्य

## 12. माल की पूर्ति का समय—

(1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

(2) माल की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :-

(क) धारा 31 [\*\*\*] 81 के अधीन पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे पूर्ति की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तारीख, जिसको पूर्तिकार पूर्ति की बाबत संदाय प्राप्त करता है ;

परंतु जहां कराधेय माल का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण 1—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, “पूर्ति” को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है।

स्पष्टीकरण 2—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-

(क) माल प्राप्ति की तारीख ; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्पूर्ति तारीख :

परंतु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,—

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर संदत्त किया जाता है।

81. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा “की उपधारा (1)” हटाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

### 13. सेवाओं की पूर्ति का समय—

(1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय उद्भूत होगा।

(2) सेवाओं की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 [\*\*\*]82 के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 [\*\*\*]83 के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं :

परंतु जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रूपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए—

(i) पूर्ति को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस सीमा तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ;

(ii) “संदाय प्राप्त करने की तारीख” वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिसके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्तर्वी तारीख :

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी :

**82.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा “की उपधारा (2)” हटाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**83.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा “की उपधारा (2)” हटाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा पूर्ति की दशा में, जहां सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर स्थित है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,—

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

#### 14. माल या सेवाओं की पूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन—

धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां पूर्ति के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की गई है, उस दशा में,—

(i) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ;

(ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां पूर्ति का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा ; या

(iii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति किए जाने की दशा में,—

(i) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ; या

(iii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किंतु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां पूर्ति का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा ;

परंतु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसा जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “संदाय के प्राप्त होने की तारीख” वह तारीख होगी, जिसको पूर्तिकार की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

### 15. कराधेय पूर्ति का मूल्य—

(1) जहां पूर्तिकार या पूर्ति का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और पूर्ति के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी पूर्ति का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त पूर्ति के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है।

(2) पूर्ति के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>84</sup> तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2107<sup>85</sup> से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्गृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि पूर्तिकार द्वारा पृथक रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका पूर्तिकार, ऐसे पूर्ति के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किंतु जो पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) किसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता से पूर्तिकार द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, माल के परिदान या सेवाओं की पूर्ति के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में पूर्तिकार द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम ;

(घ) किसी पूर्ति के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे पूर्तिकार के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, पूर्ति के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(3) पूर्ति के मूल्य में किसी को ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,—

(क) पूर्ति के पूर्व या पूर्ति के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे पूर्ति के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है ; और

(ख) पूर्ति के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,—

(i) ऐसी छूट, ऐसे पूर्ति के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है ; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे पूर्तिकार द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे पूर्ति के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

84. अधिनियम संख्या-15 सन् 2017

85. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी पूर्तियों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को “संबंधित व्यक्ति” समझा जाएगा, यदि,—

(i) ऐसे व्यक्ति किसी अन्य कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं ;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार हैं ;

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं ;

(iv) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व, नियंत्रण है या धारण करता है ;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है ;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं ;

(vii) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं ; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं ;

(ख) “व्यक्ति” पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी है ;

(ग) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से सहबद्ध हैं, जिसमें वह किसी अन्य का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा।

## अध्याय 5

## इनपुट कर प्रत्यय

## 16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

[(कक) खंड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे, पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्ति के विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित किए गए हैं।]<sup>86</sup>

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

[(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निरवधि नही किया गया है।]<sup>87</sup>

**[स्पष्टीकरण—**इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवाओं को प्राप्त कर लिया है।

(i) जहाँ माल का परिदान, किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या उसके दौरान, माल पर हक के दस्तावेजों के अन्तरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहाँ सेवा का उपबंध, पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निर्देश पर और उसके मद्दे किया जाता है।]<sup>88</sup>

**86.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा बढ़ाया गया।

**87.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा बढ़ाया गया।

**88.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपखंड निम्नलिखित था :—

“स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां पूर्तिकार द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल, परिदत्त कर दिया जाता है ;”



(ग) [धारा 41 [\*\*\*]89]90 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे पूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त पूर्ति के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

(घ) वह धारा 39 के विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किस्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, [धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा]91:

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा [पूर्तिकार को]92 किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961<sup>93</sup> के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट [\*\*\*]94 संबंधित है, अंत के अगले [तीस नवम्बर]95के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

[परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माह सितम्बर, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख के पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए ऐसे नामे नोट से सम्बन्धित किसी बीजक या बीजक से संबंधित माह मार्च, 2019 के लिए उक्त धारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख तक हकदार होगा जिसके ब्यौरे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकर्ता द्वारा माह मार्च, 2019 के लिए

89. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" निकाला गया।

90. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "धारा 41" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

91. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

92. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "पूर्तिकार को" बढ़ाया गया।

93. अधिनियम संख्या-43 सन् 1961

94. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्द "से संबंधित बीजक" हटाये गये एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी।

95. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अपलोड कर दिए गए हैं।<sup>96</sup>

### 17. प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन—

(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्यतः प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>97</sup> के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्ति का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे पूर्ति, जिस पर प्राप्तकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

**[स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद “छूट—प्राप्त पूर्ति का मूल्य” में [अनुसूची 3 के,—

(i) पैरा 5 में विनिर्दिष्ट गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य और

(ii) पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में विहित गतिविधियों या लेनदेन का मूल्य।<sup>98</sup>

के सिवाय उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।<sup>99</sup>

(4) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय कंपनी को, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं की पूर्ति करने में लगी हुई है, उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या उस मास के प्रत्ययों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा :

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई पूर्तियों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :—

**[क) अनधिक तेरह व्यक्तियों (चालक सहित) की बैठने की अनुमोदित क्षमता वाले व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटरयान, सिवाय, तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां करने के लिए किया जाय, अर्थात्:—**

<sup>96</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाईयों का द्वितीयतः दूर किया जाना) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या—क0नि0—2—187/ग्यारह—9(42)/17—2019 लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2019 द्वारा बढ़ाया गया।

<sup>97</sup>. अधिनियम संख्या—13 सन् 2017

<sup>98</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79—वि—1—2023—1(क)—13—2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा “अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>99</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79—वि—18—1क—23—18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

- (क) ऐसे मोटर यान की अग्रतर पूर्ति; या  
 (ख) यात्रियों का परिवहन; या  
 (ग) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;  
 (कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग—

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां करने के लिए किया जाय, अर्थात्:—

- (क) ऐसे जलयानों और वायुयान की और अग्रतर पूर्ति; या  
 (ख) यात्रियों का परिवहन, या  
 (ग) ऐसे जलयानों को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या  
 (घ) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) माल के परिवहन के लिए :—

(कख) साधारण बीमा, सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहाँ तक उनका सम्बन्ध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों से हैं;

परन्तु यह कि ऐसी सेवाओं से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय निम्नानुसार उपलब्ध होगा—

(i) जहाँ खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहाँ किसी ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो—

(i) ऐसे मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों के निर्माण में, या

(ii) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों के सम्बन्ध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ हो;

(ख) निम्नलिखित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति—

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौन्दर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खण्ड (क) या खण्ड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयानों, जलयानों या वायुयानों को पट्टे पर दिया जाना, किराये पर दिया जाना या भाड़े पर लिया जाना, सिवाय तब जब उनका उपयोग, उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाय, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा;

परन्तु यह कि ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय वहाँ उपलब्ध होगा जहाँ ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित पूर्ति के किसी तत्व के रूप में किया जाता है;

(i) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता; और

(ii) अवकाश पर कर्मचारियों को प्रदान की गयी यात्रा-सुविधायें यथा अवकाश या गृह यात्रा सुविधा:

परन्तु यह कि ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय वहाँ उपलब्ध होगा, जहाँ किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबन्ध करना बाध्यकारी हो।<sup>100</sup>

100. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपखण्ड (क) और (ख) निम्न प्रकार थे:—

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनकी पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा है ;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति, के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण—खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है ;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है ;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

[(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व के अधीन अपने आक्षेपों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग या उपयोग किए जाने के लिए तात्पर्यित हैं;]<sup>101</sup>

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सौंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल ;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।

“(क) मोटर यान और अन्य प्रवहन, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,—

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—

(क) ऐसे यानों या प्रवहणों के और पूर्ति के लिए ; या

(ख) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(ग) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित पूर्ति के लिए :—

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य, चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक पूर्ति का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के कारक के रूप में किया जाता है ;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,—

(क) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक पूर्ति का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय पूर्ति करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के भागरूप किया जाता है ; और

(iv) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे।”

**101.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसमें उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, “संयंत्र और मशीनरी” पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,—

- (i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण ;
- (ii) दूर-संचार टावर ; और
- (iii) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें।

### 18. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता—

(1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने का हकदार है, स्टॉक में धारित निवेशों और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा-10 के अधीन कर संदाय करने से प्रविरत हो जाता है वहाँ वह उस तारीख, जिस तारीख को वह धारा 9 के अधीन कर संदाय करने के लिये दायी हुआ है से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को स्टॉक में धारित निवेशों, स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त पूर्ति कराधेय पूर्ति हो गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति संबंधित स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसा पूर्ति कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूट प्राप्त पूर्ति के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे पूर्ति से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(3) जहाँ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहाँ उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलेक्ट्रानिक निवेश खाते में अनुपयोजित है।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए हैं, वहां वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्ध परिष्कृत या परिष्कृत माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की पूर्ति की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परंतु जहां स्क्रेप के रूप में रिफैक्टरी ईटें, सांचे और डाई, जिग्स् और फिक्चरों की पूर्ति की जाती है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।

### 19. छुटपुट काम के लिए किए गए निवेशों और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना—

(1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट काम के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, निवेशों पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(3) जहां प्रधान को, छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए निवेश भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से पूर्ति नहीं की जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य के लिए ऐसे निवेशों की पूर्ति उस दिन किया गया था, जब उक्त निवेश भेजे गए थे :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे निवेश भेजे जाते हैं, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा निवेशों के प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(4) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां प्रधान को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूंजी माल की पूर्ति उस दिन की गई थी जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों और औजारों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “प्रधान” से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

## 20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति—

(1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के द्वारा, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का अनुपाततः होगा ;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में सक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “सुसंगत अवधि”,—

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी ;

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है ;

(ख) “प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता” पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार अभिप्रेत है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, पूर्ति में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में “आवर्त” से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**



1 की [प्रविष्टि 84 और 92क]<sup>102</sup> और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

## 21. आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति—

जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

---

**102.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "प्रविष्टि 84" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।



## अध्याय 6

## रजिस्ट्रीकरण

## 22. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति—

(1) किसी राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय पूर्ति को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रूपए से अधिक है :

परंतु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय पूर्ति करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपए से अधिक है।

[परन्तु यह और कि जहाँ ऐसा व्यक्ति, ऐसे किसी विशेष प्रवर्ग के राज्य, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को बढ़ाया हो, से माल या सेवाओं की कराधेय पूर्ति करे वहाँ वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका समग्र आवर्त ऐसे बड़े हुए आवर्त के बराबर की धनराशि से अधिक हो:]<sup>103</sup>

[परंतु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर बीस लाख रूपये के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रूपये से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति में लगा हुआ है जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।<sup>104</sup>

[(2) धारा 22 की उप-धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन, जो विहित की जाएं, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।<sup>105</sup>

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थादन के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरिति या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(4) उपधारा (1) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलयन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च

**103.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**104.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**105.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा। "के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

- (i) अभिव्यक्ति संकलित व्यापारवर्त में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी प्रदाय, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी मालिकों की ओर से सम्मिलित है ;
- (ii) रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार द्वारा फुटकर—काम पूर्ण करने के पश्चात, मालों की आपूर्ति, धारा 143 में निर्दिष्ट प्रधान द्वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार का संकलित व्यापारवर्त सम्मिलित नहीं होगा ;
- (iii) अभिव्यक्ति “विशेष प्रवर्ग राज्यों” से संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छह) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य [सिवाय जम्मू एवं कश्मीर, अरुणांचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य]<sup>106</sup> अभिप्रेत है।

### 23. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिये दायी नहीं है—

(1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :—

- (क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;
- (ख) कृषक, भूमि की खेती की उपज की प्रदाय के विस्तार तक।

[(2) धारा 22 की उप-धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन, जो विहित की जाएं, उन व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।]<sup>107</sup>

### 24. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण—

धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित होगा,—

- (i) व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय प्रदाय करते हैं ;
- (ii) कराधेय प्रदाय करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ;
- (iii) व्यक्ति जिससे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है ;
- (iv) व्यक्ति जिससे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है ;
- (v) कराधेय प्रदाय करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;
- (vi) व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं ;

<sup>106</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा शब्दों का बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

<sup>107</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा “(2) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(vii) व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते हैं ;

(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;

(ix) व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदाय से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से प्रदाय करता है ;

(x) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर [जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की अपेक्षा की जाय]<sup>108</sup>;

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं भारत में किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है [विलोपित]<sup>109</sup>;

[(xik) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और]<sup>110</sup>

(xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

## 25. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया—

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

[परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित कोई यूनिट हो या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता हो, को ऐसे किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से भिन्न हो ]<sup>111</sup>

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से पूर्ति करता है, ऐसे राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, ऐसे राज्य में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

**108.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**109.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा "और" विलोपित।

**110.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

**111.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

[परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति, जिसके पास राज्य में कारबार के बहुस्थान हो, को विहित की जाने वाली शर्तों के अध्यक्षीन, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किया जा सकता है।]<sup>112</sup>

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण, चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में, प्राप्त किया है या जिससे प्राप्त करना अपेक्षित है प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा।

(5) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जाएगा।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961<sup>113</sup> के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा :

परन्तु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा।

[6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किये जाने वाले प्ररूप और रीति में तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सत्यापन कराये जाने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आवंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध, इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति को, आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां व्यक्ति को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबन्ध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति

**112.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व परंतुक निम्नलिखित था :-

“परन्तु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।”

**113.** अधिनियम संख्या-43 सन् 1961

में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग के लिये लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद “आधार संख्यांक” का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसके लिए निर्दिष्ट है।<sup>114</sup>

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाएं के आधार पर उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(8) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, उचित अधिकारी कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(9) उपधारा (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, अधिनियम, 1947<sup>115</sup> के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसल—कार्यालय या राजदूतावास ; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर, करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो विहित किया जाए।

(12) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उप धारा 10 के अधीन विहित अवधि के समाप्ति होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि उस अवधि के भीतर आवेदक को कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है।

## 26. रजिस्ट्रीकरण समझा जाना—

(1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>116</sup> के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए

<sup>114</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

<sup>115</sup>. अधिनियम संख्या-46 सन् 1947

<sup>116</sup>. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

आवेदन धारा 25 की उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>117</sup> के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा।

### 27. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध—

(1) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात कराधेय पूर्ति करेगा :

परंतु उचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) एक आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निक्षेप करेंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन निक्षेप की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा।

### 28. रजिस्ट्रीकरण का संशोधन—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् ऐसे प्ररूप रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को उचित अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>118</sup> के अधीन संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा।

117. अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

118. अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

**29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण [या निलंबन]<sup>119</sup>—**

(1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,—

(क) कारबार किन्हीं कारणों जिसके अंतर्गत स्वरत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया है ;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है ;

[ग) कराधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छा से किए गए रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है]<sup>120</sup>

[परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के सम्बन्ध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को यथाविहित अवधि के लिए और रीति से, निलंबित रखा जा सकता है]<sup>121</sup>

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है ; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, [उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की देय तारीख से तीन माह से अधिक की वित्तीय वर्ष की विवरणी]<sup>122</sup> नहीं दी है ; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने [ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी विहित की जाय]<sup>123</sup> तक विवरणी नहीं दी है ; या

**119.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा शब्दों को बढ़ाया गया।

**120.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा निम्नलिखित खण्ड रख दिया गया :-

“(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इससे अधिक दायित्वाधीन नहीं होगा।”

[परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के सम्बन्ध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को यथाविहित अवधि के लिए और रीति से, निलंबित रखा जा सकता है]\*

\*उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

**121.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**122.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा “तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी” के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

**123.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा “लगातार छह मास की अवधि” के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**



(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया या रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या (कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है :

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

[परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से सम्बन्धित कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान, उचित अधिकारी यथाविहित अवधि के लिए और रीति में रजिस्ट्रीकरण को निलम्बित रख सकता है ]<sup>124</sup>

(3) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्यज शोधय या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोधय, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>125</sup> के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रिकरण रद्द हो गया है, इलेक्ट्रानिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो रद्दकरण की ऐसी तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टॉक में धारित निवेश के संबंध में इनपुट कर और स्टॉक में धारित अर्द्ध-तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट निवेश या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर जो भी अधिक हो, के प्रत्यय के समतुल्य है :

परंतु पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकल्पित की जाएगी

### 30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण—

(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, [ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाये, ऐसे अधिकारी को]<sup>126</sup> से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा:

[विलोपित]<sup>127</sup>

<sup>124</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

<sup>125</sup>. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

<sup>126</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "रद्दकरण आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से:" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>127</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा परंतुक विलोपित गया। विलोपित से पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था :-

[परन्तु यह कि ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बढ़ाई जा सकती है,—

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>128</sup> के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा।

(क) संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये,

(ख) अपर आयुक्त ग्रेड-एक, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से आगे अग्रतर अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये।]\*

\* उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01.01.2021 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व परन्तुक निम्नलिखित था :-

[परन्तु यह कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे धारा 169 की उप-धारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में यथा उपबंधित रीति से धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन नोटिस तामील हुई थी और जो उक्त नोटिस का उत्तर नहीं दे सका है, जिसका परिणाम उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण है, और इसलिए वह दिनांक 31.03.2019 तक पारित ऐसे आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने में असमर्थ हैं, को 22.07.2019 तक रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।]\*\*

\*उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाइयों को दूर करना-नौवां) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-985/ग्यारह-9(47)/17-2019 लखनऊ : दिनांक : 02 जुलाई, 2019 द्वारा बढ़ाया गया।”

**128.** अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अध्याय 7

## कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट

## 31. कर बीजक—

(1) कराधेय मालों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले या उस पर,—

(क) प्राप्तिकर्ता की पूर्ति, जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाएगा ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसको उपलब्ध कराएगा,

वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय में और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, मालों या प्रदाययों के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् परन्तु विहित अवधि के भीतर वर्णन और सेवाओं के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

[परंतु यह कि, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती है जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, एक कर बीजक जारी किया जाएगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अधधीन ऐसी सेवा श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध में —

(i) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक के रूप में जायेगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।<sup>129</sup>

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक, प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अधधीन रहते हुए, मालों या सेवाओं या दोनों प्रदाययों का मूल्य दो सौ रूपए से कम है ;

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर अदा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा :<sup>130</sup>

**129.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व परन्तुक निम्नलिखित था :—

“परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में ;

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा ; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो।”

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, पूर्ति का बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित का जाए, दो सौ रूपए से कम है ;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाए, कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा ;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परन्तु पश्चात्पूर्ति कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा ;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, पूर्तिकर्ता को संदाय करते समय कोई संदाय वाउचर जारी करेगा ।।

(4) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्ति किया जाता है, जारी किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्याधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में,—

(क) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां बीजक जब सेवाओं का पूर्तिकार संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति समाप्त होती है और ऐसा बीजक ऐसी समाप्ति से पूर्व प्रभावित पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा ।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहा या लिया जा रहा माल पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक पूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" पद के अंतर्गत पहले की गई पूर्ति के संबंध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक होगा ।

### **[31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा—**

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गयी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्राप्तिकर्ता को, इलेक्ट्रॉनिक संदाय का विहित ढंग

**130.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (सातवां कठिनाईयों का निवारण) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-811 / ग्यारह-9(42)/17-2019 लखनऊ :: दिनांक :: मई 28, 2019 द्वारा निम्न प्रकार स्पष्टीकरण किया गया :-

"यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के उपबंध उसी व्यक्ति पर लागू होंगे जो अधिसूचना संख्या-524, दिनांक 01 अप्रैल, 2019, के अधीन कर का भुगतान कर रहा हो।"

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

उपलब्ध कराएगा और तदनुसार ऐसे प्राप्तकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।<sup>131</sup>

### 32. कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध—

(1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा।

### 33. कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम—

इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज, टैक्स की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है प्रमुखतः उपदर्शित करेगा।

### 34. जमा और नामे पत्र—

(1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए [एक या अधिक कर बीजक जारी किये गये हैं]<sup>132</sup> और उस कर बीजक में प्रभारित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्ति किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्तकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट [किसी वित्तीय वर्ष में की गयी पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र]<sup>133</sup> जारी कर सकेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है। ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा साख पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् [तीस नवम्बर]<sup>134</sup> से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा :

परंतु यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

**131.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**132.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "कोई कर बीजक जारी किया गया है" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**133.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "जमापत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**134.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "सितम्बर मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए [एक या अधिक कर बीजक जारी किये गये हैं]<sup>135</sup> और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर, कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्तकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट [किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे पत्र]<sup>136</sup> जारी करेगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामेपत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में जो विहित की जाए में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “नामे पत्र” पद के अंतर्गत पूरक बीजक हैं।

**135.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा “कोई कर बीजक जारी किया गया है” के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**136.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा “नामे पत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अध्याय 8

## लेखे और अभिलेख

## 35. लेखे और अन्य अभिलेख—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित,—

- (क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;
- (ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति ;
- (ग) माल का स्टॉक ;
- (घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;
- (ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर ; और
- (च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार के स्थान विनिर्दिष्ट किए गए हैं वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के उन्हीं स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा।

(2) भंडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा।

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

[\*\*\*]137

**137.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा विलोपित। विलोपन से पूर्व खण्ड निम्न प्रकार था :-

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

“परन्तु यह कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण के लिये लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियों, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किये जाने के अध्वधीन हो”\*

\*उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

### 36. लेखों के प्रतिधारण की अवधि—

धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से 72 मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगा :

परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे जो उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा।

## अध्याय 9 विवरणियां

### 37. जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में [ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन और]<sup>138</sup> ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती 10वें दिन को या उससे पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे [उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेग]<sup>139</sup>:

[विलोपित]<sup>140</sup>

[परंतु यह कि]<sup>141</sup> आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

[परंतु यह और कि]<sup>142</sup> केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

[परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के संबंध में त्रुटि या लोप का सुधार माह सितम्बर, 2018 के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् माह मार्च, 2019 या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तिमाही के लिए ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख तक अनुज्ञात किया जाएगा।]<sup>143</sup>

[विलोपित]<sup>144</sup>

**138.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा बढ़ाया गया।

**139.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंग" के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

**140.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा विलोपित गया। विलोपन से पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था :-

"परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।"

**141.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "परंतु यह और कि" के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

**142.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

**143.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (कठिनाईयों का द्वितीयतः दूर किया जाना) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-187/ग्यारह-9(42)/17-2019 लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2019 द्वारा बढ़ाया गया।

**144.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा विलोपित गया। विलोपन से पूर्व उपधारा (2) निम्न प्रकार थी :-

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो [विलोपित]<sup>145</sup>, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् [तीस नवम्बर]<sup>146</sup> पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

[4] किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा न दिया गया हो :

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने पिछली एक या अधिक कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का ब्यौरा न दिया हो।<sup>147</sup>

[5] किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिये जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी एक कर अवधि हेतु जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।<sup>148</sup>

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, “जावक पूर्तियों के ब्यौरे” पद के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे हैं।

### [38— आवक पूर्ति के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय की संसूचना

(1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों और ऐसी अन्य पूर्तियों, जो विहित की जायें, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरा से अन्तर्विष्ट स्वतः जनित

“प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, 17वें दिन को या इससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं कर सकेगा तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित होंगे।”

**145.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा “धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं” को विलोपित किया गया।

**146.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा “सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के” के स्थान पर प्रतिस्थापित गया।

**147.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा बढ़ाया गया।

**148.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा निर्वंधनों के अधीन जैसा कि विहित किया जाय, उपलब्ध कराये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे :-

(क) आवक पूर्तियों का ब्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकता है: और

(ख) पूर्तियों का ब्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के ब्यौरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है:-

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथा विहित अवधि के भीतर; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और जहां ऐसी चूक यथा विहित अवधि तक जारी हो; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथा विहित अवधि के दौरान, संदेय आउटपुट कर, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथा विहित सीमा से अधिक हो; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथा विहित अवधि के दौरान उस धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, यथा विहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथा विहित शर्तों एवं निर्वंधनों के अधीन धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन करने में चूक ही हो; या

(vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा।<sup>149</sup>

**149.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित की गयी। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा निम्न प्रकार थी :-

### “38. आवक पूर्तियों के ब्यौरे देना-

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा और उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन पूर्तिकार द्वारा घोषित नहीं की गई हैं, के संबंध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियां, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियां या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर संदेय है तथा कर अवधि के दौरान ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे 10वें दिन के पश्चात् परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, देगा :

परंतु आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

### 39. विवरणियां देना—

[(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों, को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।<sup>150</sup>

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, की विवरणी ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, इलेक्ट्रानिक रूप में देगा।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के और उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरे संबंधित पूर्तिकार को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।<sup>150</sup>

**150.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 दिनांक 12 मार्च, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 10 नवम्बर, 2020 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (1) व उपधारा (2) निम्न प्रकार थीं:—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियां और [\*\*\*]\* या को [ऐसे प्रारूप, रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए]\*\*, विवरणी देगा।

[परन्तु यह कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को अधिसूचित कर सकती है जो ऐसी शर्तों और सुरक्षापायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।]<sup>\*\*\*</sup>

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 18 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा।

\*उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "ऐसे कैलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व" हटाया गया।

\*\*उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

\*\*\*उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक करयोग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् 13 दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलेंडर मास के अंत के पश्चात् [13]<sup>151</sup> दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(6) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

[7] प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का संदाय अंतिम तारीख, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, से पूर्व करेगा :

[परंतु यह कि उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सरकार को यथा विहित प्रपत्र में तथा रीति से एवं समय के भीतर संदाय करेगा, —

(क) किसी माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक तथा जावकपूर्तियों, उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर धनराशि; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि के बदले में, यथा विहित रीति से और शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्याधीन अवधारित धनराशि,]<sup>152</sup>

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा।]<sup>153</sup>

**151.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा 20 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**152.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व परंतुक निम्न प्रकार था :-

“परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किये गये इनपुट का प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा :

**153.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 दिनांक 12 मार्च, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 10 नवम्बर, 2020 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (7) निम्न प्रकार थी:-

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम दिनांक, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

[परंतु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्याधीन, विवरणी के अनुसार सरकार को देय कर या उसके आंशिक भाग का संदाय अंतिम दिनांक को या उससे पूर्व करेगे।]\*

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं।

(9) [जहां]<sup>154</sup> किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यक्षीन, [ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए]<sup>155</sup> दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु [ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हों, को समाप्ति]<sup>156</sup> के पश्चात् [तीस नवम्बर]<sup>157</sup> या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी [या उसके द्वारा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है :

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसके एक या उससे अधिक पूर्व कर अवधियों की विवरणी प्रस्तुत न की हो या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत न किया हो।<sup>158</sup>

[(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की उक्त नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद भी उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।<sup>159</sup>

\*उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

**154.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यक्षीन यदि" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**155.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**156.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "वित्तीय वर्ष की समाप्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**157.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**158.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "नहीं दी गई है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**159.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

**40. प्रथम विवरणी—**

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्यावधि में जावक पूर्तियां की हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा।

**[41. इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति**

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथा विहित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, अपनी कर विवरणी में स्वतः निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा, और ऐसी धनराशि उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों के संबंध में उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय, जिन पर संदेय कर पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त न किया गया हो, उक्त व्यक्ति द्वारा यथाविहित रीति से लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्तियों के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की धनराशि का पुनः उपभोग यथाविहित रीति से कर सकता है।<sup>160</sup>

**[धारा 42, 43, 43क विलोपित]<sup>161</sup>**

**160.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा निम्न प्रकार था :-

**“41. इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति—**

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों जो विहित किए जाएं, के अधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता में जमा की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।”

**161.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा विलोपित। विलोपन से धारार्ये पूर्व निम्न प्रकार थी :-

**42. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना—**

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “प्राप्तिकर्ता” कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे ;

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में “पूर्तिकार” कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जाएगा।

(2) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(3) जहां आवकपूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी पूर्ति के लिए पूर्तिकार द्वारा घोषित कर से अधिक है या पूर्तिकार द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**



(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमाम्य, विवरणी में पूर्तिकार द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि पूर्तिकार धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमाम्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलेक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम पूर्तिकार द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

#### 43. आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय—

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "पूर्तिकार" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चात्कर्ता करावधि के लिए उसकी विधिमाम्य विवरणी में ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए।

(2) पूर्तिकार द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार को दी जाएगी।

(3) जहां बाहर के लिए पूर्तियों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी प्रत्यय टिप्पण की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमाम्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्वों में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना पूर्तिकार को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमाम्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चातवर्ती मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों की आवृत्ति के लेखे पाई जाती है, को पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिससे ऐसी आवृत्ति संसूचित की जाती है।

(7) पूर्तिकार अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमाम्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

**44. वार्षिक विवरणी—**

[(1)<sup>162</sup>किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का पूर्तिकार को उसकी इलेक्ट्रॉनिकी रोकड़ खाता में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकार की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा पूर्तिकार इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

**[43क. विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया—**

(1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतकरण करेगा या उन्हें निकाल देगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाय।

(3) प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) उपधारा (3) के अधीन उपलब्ध न करायी गयी जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि विहित किया जाय और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकती है, जिसका इस प्रकार उपभोग किया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसी जावक पूर्तियों, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हों, में विनिर्दिष्ट कर धनराशि को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के सम्बन्ध में यथास्थिति उपभोग किये गये, इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके लिये ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हों किन्तु विवरणी प्रस्तुत न की गई हो।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली यथा विहित ऐसी रीति से की जाएगी, और ऐसी प्रक्रिया में गलती से उपमुक्त अनधिक एक हजार रूपए कर या इनपुट कर प्रत्यय की धनराशि की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकता है।

(8) जावक पूर्तियों से सम्बन्धित प्रक्रिया, सुरक्षोपायों तथा कर धनराशि की सीमा के ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किये जा सकते हैं:—

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर,

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया हो और जहाँ ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रमित धनराशि के संदाय के देय तारीख से दो मास से अधिक अवधि के लिए जारी रहता है वहाँ वह धनराशि होगी, जैसा कि विहित किया जाय।]\*

\* उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

**162.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा पुनर्संख्यांकित किया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



परंतु यह कि आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन हैं या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अधीन हैं, लागू नहीं होगी।<sup>163</sup>

[(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं,

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।<sup>164</sup>

#### 45. अंतिम विवरणी—

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

**163.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा निम्न प्रकार थी :-

(1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलैक्ट्रॉनिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी, 31 जनवरी, 2020 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2020 को या उसके पहले प्रस्तुत की जा सकेगी।

**164.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

**46. विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना—**

जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

**47. विलंब फीस का उद्ग्रहण—**

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 [विलोपित]<sup>165</sup> के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी [विलोपित]<sup>166</sup> पूर्तियों या धारा 39 या धारा 45 [या धारा 52]<sup>167</sup> के अधीन के ब्यौरे सम्यक् तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का संदाय करेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् तारीख तक धारा 44 या धारा 45 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा।

**48. माल और सेवा कर व्यवसायी—**

(1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन बहिर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे [विलोपित]<sup>168</sup> और धारा 39 या धारा 44, [धारा 45 और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए]<sup>169</sup> के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।

**165.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "या धारा 38" विलोपित।

**166.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "या अंतर्गामी" विलोपित।

**167.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा बढ़ाया गया।

**168.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे" विलोपित।

**169.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा शब्दों को बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

## अध्याय 10

## कर संदाय

## 49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय—

(1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समय निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलैक्ट्रॉनिकी रोकड़ खाता जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी इलैक्ट्रॉनिकी प्रत्यय खाता, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में [धारा 41 [विलोपित]<sup>170</sup>]<sup>171</sup> के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा।

(3) इलैक्ट्रॉनिकी रोकड़ खाता में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(4) इलैक्ट्रॉनिकी प्रत्यय खाता में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>172</sup> के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों [और निर्बंधन]<sup>173</sup> के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रॉनिकी प्रत्यय खाता में निम्नलिखित के लेखे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम—

(क) एकीकृत कर का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ख) केन्द्रीय कर का पहले उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ग) राज्य कर का पहले उपयोग, राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

[परन्तु यह कि राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहाँ किया जाएगा, जहाँ केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है,]<sup>174</sup>

**170.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "या धारा 43क" विलोपित।

**171.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "धारा 41" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**172.** अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

**173.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा बढ़ाया गया।

**174.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

[परन्तु यह कि संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, एकीकृत कर संदाय के लिए केवल वहाँ किया जाएगा, जहाँ केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है।<sup>175</sup>

(ङ) केन्द्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात्, इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता में शेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रानिकी उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

(क) पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्वयं निर्धारित कर और अन्य शोध्य;

(ख) चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्वयं निर्धारित कर और अन्य शोध्य;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अन्तर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में जमा करने की तारीख समझा जाएगा;

(ख) पद,—

(i) “कर शोध्य” से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है; और

(ii) “अन्य शोध्य” से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

[(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय के रूप में समझा जाएगा।

175. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) में यथा उपबंधित रूप में उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।<sup>176</sup>

[(12) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथाविहित शर्तों और निर्वधनों के अधीन, इस अधिनियम के अधीन आउटपुट कर देयता का यथाविहित अधिकतम अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका निस्तारण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से किया जा सकता है।]<sup>177</sup>

#### [49क. कतिपय शर्तों के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग—

धारा 49 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर के मद्दे, यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य के संदाय के प्रति इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का ऐसे संदाय के प्रति प्रथमतः पूर्णतया उपयोग कर कर लिये जाने के पश्चात् ही किया जायेगा।

#### 49ख. इनपुट कर प्रत्यय में उपयोग का आदेश—

इस अध्याय में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खण्ड (ड़) और खण्ड (च) के उपबंधों के अधीन, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर संदाय के प्रति उपभोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकती है।<sup>178</sup>

#### 50. विलंबित कर संदाय पर ब्याज—

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा।

[परन्तु यह कि धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, किसी एक अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में और नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई कार्यवाहियाँ आरम्भ होने के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, कर के उस भाग के लिए संदेय होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से विकलन करके संदत्त किया जाता है।]<sup>179</sup>

**176.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**177.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा बढ़ाया गया।

**178.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**179.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व परन्तुक निम्न प्रकार था :—

“परन्तु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहाँ के, जहाँ ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से निकालकर किया गया है।”\*

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध था, के पश्चातवर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

[3] जहां इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग और उपयोग गलत तरीके से किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे गलत तरीके से उपभुक्त और उपयोग कृत इनपुट कर प्रत्यय पर अनधिक चौबीस प्रतिशत दर, जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से ब्याज का संदाय करना होगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जायें।<sup>180</sup>

### 51. स्रोत पर कर कटौती—

(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार,—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “कटौतीकर्ता” कहा गया है, को पूर्तिकार (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “जिससे कटौती की गई है” कहा गया है) को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा पूर्ति का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परंतु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि पूर्ति का स्थान और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्तिकार का स्थान, जो कि यथास्थिति, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए पूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा।

[3] स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा जैसा विहित किया जाये।<sup>181</sup>

\* उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 सितम्बर, 2020 से प्रभावी।

**180.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा निम्न प्रकार था :-

“(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य या दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, यथास्थिति, ऐसे असम्यक् या आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।”

**181.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा निम्नलिखित थी :-

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

(4) [\*\*\*]182

(5) जिसकी कटौती की जा रही है वह अपने इलैक्ट्रॉनिकी रोकड़ खाता में कटौती किए गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में व्योहार किया जाएगा :

परंतु कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, जिसकी कटौती की जा रही है, की इलैक्ट्रॉनिकी रोकड़ खाता में प्रत्यय कर दिया गया है।

## 52. स्रोत पर कर का संग्रहण—

(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् “प्रचालक” कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य पूर्तिकारों द्वारा की गई कराधेय पूर्तियों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न “कराधेय पूर्तियों का शुद्ध मूल्य” से मालों या सेवाओं की कराधेय पूर्तियों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा पूर्ति की गई है, से उक्त मास के दौरान पूर्तिकारों द्वारा वापस लौटाई गई कराधेय पूर्तियों के समय मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी पूर्तियों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति है तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संग्रहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलैक्ट्रॉनिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

**182.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा उपधारा (4) विलोपित एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी। विलोपन से पूर्व उपधारा (4) निम्न प्रकार थी—

“(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिसकी कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रूपए की राशि का संदाय करेगा।”

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**



[परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।<sup>183</sup>

[स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि मास अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 2018 के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख [07 फरवरी, 2019]<sup>184</sup> होगी।<sup>185</sup>

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रानिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

[परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।<sup>186</sup>

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् [तीस नवम्बर]<sup>187</sup> या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(7) पूर्तिकार, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है, संगृहित रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपनी इलैक्ट्रानिकी रोकड़ खाता में प्रत्यय का दावा करेगा।

**183.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**184.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पंचम कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-244 / ग्यारह-9(42)/17-2019 लखनऊ : दिनांक : 05 मार्च, 2019 द्वारा शब्दों और अंकों "31 जनवरी, 2019" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**185.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-298 / ग्यारह-9(42)/17-2019 लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2019 द्वारा बढ़ाया गया।

**186.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**187.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख " के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत पूर्तिकारों के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तिकारों के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तिकारों के ब्यौरे [धारा 37 या धारा 39]<sup>188</sup> के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी।

(10) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको पूर्तिकारों द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तियों का मूल्य पूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी पूर्तियों के मूल्य से उस मास के पश्चातवर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, अधिक है।

(11) संबंधित पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा पूर्ति के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध था, उसके संदाय की तारीख तक करेगा।

(12) उपायुक्त के रैंक से अन्यून कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके प्रक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से पूर्ति कर रहे पूर्तिकारों द्वारा गोदामों या भंडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, धृत मालों का स्टॉक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे पूर्तिकारों ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषणा की है, जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी।

[(15) प्रचालक को उप-धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, जो विहित की जाएं, एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उप-धारा (4) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकती है।<sup>189</sup>

<sup>188</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "धारा 37" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

<sup>189</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “संबंधित पूर्तिकार” पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला पूर्तिकार अभिप्रेत है।

### 53. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण—

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>190</sup> के अधीन कर शोध के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर जैसा कि धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, राज्य कर के रूप में संगृहित रकम को इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी।

### [53क. कतिपय रकमों का अंतरण—

जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर हेतु इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाता या एकीकृत कर खाता या उपकर खाते को, इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के समतुल्य रकम का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी।<sup>191</sup>

190. अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

191. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अध्याय 11

## प्रतिदाय

## 54. कर प्रतिदाय—

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा:

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रानिक रोकड़ खाता में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह [ऐसे प्ररूप और]<sup>192</sup> का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947<sup>193</sup> के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की अंतर्गामी पूर्तियों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्ति की गई थी, के अंतिम दिन से [दो वर्ष]<sup>194</sup> के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परंतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा—

(i) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर पूर्ति;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर मद्ये सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्तियों के जैसा कि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी पूर्तियों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है :

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी पूर्तियों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है; और

**192** . उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय " के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**193** . अधिनियम संख्या-13 सन् 2017

**194** . उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा " छह मास " के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चुकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है :

परंतु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रूपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया है।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा।

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम [विलोपित]<sup>195</sup>, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों का इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी [निर्यात और निर्यातों]<sup>196</sup> के लिए किया गया है, पर कर का प्रतिदाय;

(ख) उपधारा (3) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज।

**195.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा द्वारा "जिसके अंतर्गत अंतिमतः रचीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है" विलोपित।

**196.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "शून्य अंकित पूर्तियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**[8क)** जहां केन्द्र सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का संवितरण किया हो, वहां राज्य सरकार इस प्रकार प्रतिदायकृत रकम के समतुल्य रकम, केन्द्र सरकार को अंतरित करेगी ॥<sup>197</sup>

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

(10) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की **[विलोपित]**<sup>198</sup> कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा ;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट तारीख” से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है।

(11) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करें, विधारित कर सकेगा।

(12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है।

(13) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी है।

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रूपए से कम है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(1) “प्रतिदाय” में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या ऐसे शून्य दर पूर्तियां को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रूप में मालों की पूर्ति पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथाउपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है।

**197.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**198.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा “उपधारा (3) के अधीन ” विलोपित ।

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की पूर्ति की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है;

[**(ख क)** किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर वाली पूर्ति के मामले में, जहाँ स्वयं ऐसी पूर्तियों या ऐसी पूर्तियों में प्रयुक्त यथास्थिति इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर प्रति संदाय उपलब्ध हो वहाँ ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख]<sup>199</sup>

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा [या भारतीय रूप में, जहाँ कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा दी जाय]<sup>200</sup> में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की पूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की सूचना प्राप्ति की तारीख;

[**(ङ)** उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय को प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता हो, के लिये धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने हेतु देय तारीख ]<sup>201</sup>

**199.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश संख्या 11 सन् 2022) विज्ञप्ति संख्या 497/79-वि-1-2022-1-क-10-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022 द्वारा बढ़ाया गया।

**200.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**201.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा निम्नलिखित उपखंड के स्थान पर प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व उपखंड निम्नलिखित था :-

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**



(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख;

(छ) पूर्तिकार से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय की तारीख।

### 55. कतिपय मामलों में प्रतिदाय—

सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947<sup>202</sup> के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे।

### 56. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज—

यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर [इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन जैसा विहित किया जाये]<sup>203</sup> ब्याज संदेय होगा :

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा।

### 57. उपभोक्ता कल्याण निधि—

सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा—

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम;

“(ड) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;”

**202.** अधिनियम संख्या—46 सन् 1947

**203.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा “उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



- (ख) निधि में प्रत्यय की गई रकम के विनिधान से कोई आय; और  
(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां।

#### 58. निधि का उपयोग—

- (1) निधि में प्रत्यय की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।
- (2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक लेखे तथा पृथक अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा।

## अध्याय 12

## निर्धारण

## 59. स्वतः निर्धारण—

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्वतः निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

## 60. अनंतिम निर्धारण—

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के अपश्चात् अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा।

(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जो विहित की जाए, और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पारित करता है।

(3) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं की पूर्ति या दोनों पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किंतु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की उपधारा (7) या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेशों के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित प्रतिदाय का संदाय किया जाएगा।

## 61. विवरणियों की संवीक्षा—

(1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानपद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित

कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा।

## 62. विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण—

(1) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से [साठ दिन]<sup>204</sup> के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।

[परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीलीकरण के साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहाँ वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश के तामीलीकरण के साठ दिनों की एक अग्रतर अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किंतु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।]<sup>205</sup>

## 63. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण—

धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपने सर्वोत्तम विवेक और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्त वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा।

## 64. कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण—

(1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

<sup>204</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "तीस दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>205</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

परंतु जहां कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की पूर्ति के संबंध में हैं तो ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्द अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

## अध्याय 13

## लेखापरीक्षा

**65. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा—**

(1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक और कालावधि के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “लेखापरीक्षा का आरंभ” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ पर, कारबार के स्थान, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, में उपलब्ध करा दिए जाते हैं।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,—

(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारी और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तारीख से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

**66. विशेष लेखापरीक्षक—**

(1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्त्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा व्यय, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

## अध्याय 14

## निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

## 67. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—

(1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि...

(क) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या अपने पास रखे गए मालों के स्टॉक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारों से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भंडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भंडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून समुचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिग्रहण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्योहार नहीं करेगा :

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियां या चीजें जिन पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोलने की शक्ति होगी।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए या यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों या अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

(8) सरकार मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण, मालों के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् निपटान किया जाएगा, घोषित कर सकेगी।

(9) जहां कोई माल, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>206</sup> के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रख दिया गया था।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के क्रय को ऐसे व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या पूर्ति बिलों की जांच करने के लिए क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी किए गए पूर्ति के लिए कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।

## 68. संचलन में मालों का निरीक्षण—

(1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा प्रवहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परेषण का प्रवहन को ले जाए जाने वाले प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा।

<sup>206</sup>. अधिनियम संख्या-2 सन् 1974



**69. गिरफ्तार करने की शक्ति—**

(1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>207</sup> के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा ;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वही शक्तियां होंगी और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं।

**70. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति—**

(1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908<sup>208</sup> के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता<sup>209</sup> की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत “न्यायिक कार्यवाहियां” समझा जाएगा।

**71. कारबार परिसरों तक पहुँच—**

(1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर चाहे किसी कम्प्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, पर किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक हों, पहुँच होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को निम्नलिखित—

(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है;

(ii) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य;

(iii) सम्यकतः लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहां अपेक्षित हो;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013<sup>210</sup> की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;

**207.** अधिनियम संख्या—2 सन् 1974

**208.** अधिनियम संख्या—5 सन् 1908

**209.** अधिनियम संख्या—45 सन् 1860

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(v) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और

(vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, से पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा।

## 72. समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी—

(1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केन्द्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी।

## अध्याय 15

## मांग और वसूली

**73. असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाए गए कर का अवधारण—**

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करें।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय—सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय कर सकता है और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण की इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रूपए, जो भी अधिक हो, को ऐसे व्यक्ति से शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

#### **74. असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाए गए कर का अवधारण—**

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के साथ प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट कर के बराबर शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील को 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझा जाएगा कि उक्त विवरण में अवलंब लिए आधार सिवाय कपट के आधार के या उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिए किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्वयं निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम, वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख से पांच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश की तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथकर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—धारा—73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) पद “उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां” में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो [धारा 122 और 125]<sup>211</sup> के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, “छिपाना” पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा।

## 75. कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध—

(1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जाएगा।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसकी सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी।

(3) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।

(4) सुने जाने के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है।

(5) समुचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा ;

<sup>211</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा शब्दों और अंकों “धारा 122, 125, 129 और 130 के” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

- (6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का अधिकथन करेगा।
- (7) आदेश से मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी।
- (8) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तदनुसार उपांतरित हो जाएगी।
- (9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।
- (10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(11) कोई विवाधक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतु उपदर्शित जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी।

[स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद “स्वनिर्धारित कर” में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत की गयी ऐसी जावक पूर्तियों के ब्योरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।]<sup>212</sup>

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

## 76. संगृहित किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर—

(1) अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह पूर्ति, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा।

<sup>212</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा।

(5) वहां सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा।

(9) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्तियों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

## 77. गलती से संगृहित किया गया और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतःराज्यीय पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केन्द्रीय कर और राज्य कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चात्पूर्ति रूप से अंतरराज्यिक पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतरराज्यिक पूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चात्पूर्ति रूप से अंतःराज्यीय पूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, से, संदेय राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।

## 78. वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना—

इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी।

परंतु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।



### 79. कर की वसूली—

(1) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात्:—

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है;

(ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वसूली करेगा ;

(ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चात्कर्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरंत धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होगी, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा;

(iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे;

(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के विस्तार तक या कर, ब्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक सरकार के प्रति दायी होगा ;

(vii) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानपद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी



धन को धारण कर रहा था, और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी ;

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों के साथ संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत्त लागत है और आधिक्य लागत यदि कोई हो को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था;

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>213</sup> में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित था ;

(2) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस उपधारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी।

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है तो केन्द्रीय कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय करेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा।

**[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए शब्द व्यक्ति में, यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथाविनिर्दिष्ट "विशिष्ट व्यक्ति" सम्मिलित होंगे।]**<sup>214</sup>

<sup>213</sup>. अधिनियम संख्या-2 सन् 1974

<sup>214</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

### 80. कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय—

किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा 50 के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सककेगा :

परंतु जहां किसी सम्यक् तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा।

### 81. कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना—

जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रभार का अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबन पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय अन्य राशि या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है।

### 82. कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना—

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016<sup>215</sup> में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा।

### 83. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की—

[(1) जहाँ, अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय हो कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।]<sup>216</sup>

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा।

**215.** अधिनियम संख्या-31 सन् 2016

**216.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा निम्नलिखित थी :-

(1) जहाँ धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।

**84. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण—**

जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब—

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम में जारी रहेगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी ;

(ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,—

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा ;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा ;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी।

## अध्याय 16

## कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

## 85. सरकार के अंतरण की दशा में दायित्व—

(1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्त्तः पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोधय कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करने का, दायी होगा।

## 86. अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व—

जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की पूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्त्तः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे।

## 87. कंपनियों के सम्मेलन या विलयन की दशा में दायित्व—

(1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किए जाने की तारीख से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसा पूर्ति और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के आपूर्ति या प्राप्ति कारबार में सम्मिलित किया जाएगा और वह तदनुसार कर का संदाय करने की दायी होगी।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा।

## 88. परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व—

(1) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है) अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा।<sup>217</sup>

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा संदेय है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा।

<sup>217</sup>. अधिनियम संख्या 31 सन् 2016

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्: ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानपद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

### 89. प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013<sup>218</sup> में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्: ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी।

### 90. फर्म के भागीदारों के कर का संदाय करने के लिए दायित्व—

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्: दायी होगा :

परंतु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है।

### 91. अभिरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व—

जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अल्पव्यय या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिरक्षक पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अल्पव्यय या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

<sup>218</sup>. अधिनियम संख्या-18 सन् 2013

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## 92. प्रतिपाल्य अधिकरण आदि का दायित्व—

जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

## 93. कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध—

(1) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016<sup>219</sup> में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब—

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त या अवधारित किया गया है।

(2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016<sup>220</sup> में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्: इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है।

(3) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016<sup>221</sup> में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्: इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

<sup>219</sup>. अधिनियम संख्या—31 सन् 2016

<sup>220</sup>. अधिनियम संख्या—31 सन् 2016

<sup>221</sup>. अधिनियम संख्या—31 सन् 2016

(4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016<sup>222</sup> में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,—

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किंतु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

#### 94. अन्य मामलों में दायित्व—

(1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,—

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त से और पृथक्त्: दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्त्: दायी होंगे।

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

(i) “सीमित दायित्व भागीदार” जिसे सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, 2008<sup>223</sup> के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा;

(ii) “न्यायालय” से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।

<sup>222</sup>. अधिनियम संख्या—31 सन् 2016

<sup>223</sup>. अधिनियम संख्या—6 सन् 2009

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



## अध्याय 17

## अग्रिम विनिर्णय

## 95. परिभाषाएं—

इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

## 95.(क) “अग्रिम विनिर्णय”

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अग्रिम विनिर्णय” से किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण]<sup>224</sup> द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) [धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग]<sup>225</sup> में मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है ;

## 95.(ख) “अपील”

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ख) “अपील” प्राधिकरण से धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

## 95.(ग) “आवेदक”

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ग) “आवेदक” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

## 95.(घ) “आवेदन”

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(घ) “आवेदन” से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

## 95.(ङ) “प्राधिकरण”

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ङ) “प्राधिकरण” से धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है;

## [95.(च) “राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण”

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(च) “राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।<sup>226</sup>

<sup>224</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

<sup>225</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

<sup>226</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।



### 96. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन—

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(i) केन्द्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य; और

(ii) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ;

जिन्हें क्रमशः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

### 97. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन—

(1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला आवेदक ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन करेगा।

(2) यह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,—

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण ;

(घ) संदत्त या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता ;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण ;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बराबर या उनकी आपूर्ति के रूप में होता है।

### 98. आवेदन की प्राप्ति की प्रक्रिया—

(1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकरण द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा।

(2) प्राधिकरण आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परंतु प्राधिकरण वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकरण द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की जाएगी।

(5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतभेद रखते हैं, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वे मतभेद रखते हैं और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा।

(7) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्कतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

### 99. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन—

सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(i) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केन्द्रीय मुख्य कर आयुक्त; और

(ii) राज्य कर आयुक्त :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों से, किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

### 100. अपील प्राधिकरण को अपील—

(1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु अपील प्राधिकरण का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए।

**101. अपील प्राधिकारी के आदेश—**

(1) अपील प्राधिकरण अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए उचित समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतभेद रखते हैं तो यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया गया है।

(4) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्कतः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

**[101क—राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन—**

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अध्याय के उपबंधों के, अध्याधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा।

**101ख. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील—**

जहां धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्नों के संबंध में, धारा 101 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन दो या अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जिनमें ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किये जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी :

परन्तु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किये जाने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक अग्रतर अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण—**शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख को अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्रारूप में होगी, जिसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

### 101ग. राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश—

(1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, केन्द्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट या उपांतरित करते हुए ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु पर भिन्न राय हो तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात् यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा।<sup>227</sup>

### 102. अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि—

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण]<sup>228</sup> धारा 98 या धारा 101 [या धारा 101ग]<sup>229</sup> के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी गलती प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण]<sup>230</sup> की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या [अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण]<sup>231</sup> द्वारा आदेश की तारीख से छह मास के भीतर लाई जाती है :

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने अथवा अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

### 103. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना—

(1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर।

**227.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**228.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**229.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**230.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**231.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा शब्द "अपीलार्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

[(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा—

(क) आवेदक, जो सुभिन्य व्यक्ति है, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा हो और सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी लेखा संख्या हो;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों के संबंध में संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी एक ही स्थायी लेखा संख्या हो।<sup>232</sup>

(2) उपधारा (1) [और उपधारा (1क)]<sup>233</sup> में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों।

#### 104. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना—

(1) जहां अपील प्राधिकरण [या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण]<sup>234</sup> यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 [या धारा 101ग]<sup>235</sup> की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण—धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी।

#### 105. [प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां]<sup>236</sup>—

(1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण]<sup>237</sup> को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908<sup>238</sup> के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,—

**232.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**233.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**234.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**235.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**236.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा शब्दों "प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**237.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**238.** अधिनियम संख्या-5 सन् 1908

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

- (क) खोज और निरीक्षण;
- (ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण]<sup>239</sup> धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>240</sup> के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थात्गत और भारतीय दंड संहिता 1860<sup>241</sup> की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

#### 106. [प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया]<sup>242</sup>—

प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण [या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण]<sup>243</sup> को इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

**239.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

**240.** अधिनियम संख्या-2 सन् 1974

**241.** अधिनियम संख्या-45 सन् 1860

**242.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा शब्दों " प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**243.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अध्याय 18

## अपील और पुनरीक्षण

## 107. अपील प्राधिकारी को अपीलें—

(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>244</sup> के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो उस तारीख से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, से तीन मास के भीतर विहित किया जाए।

(2) आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>245</sup> के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां उपधारा (2) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसा आवेदन अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी जो विहित किया जाए।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने—

(क) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत [अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए के अध्यक्षीन]<sup>246</sup> विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो।

[परंतु यह कि धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक दाखिल नहीं की जाएगी, जब तक कि शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि का अपीलार्थी द्वारा संदाय न कर दिया गया हो।]<sup>247</sup>

<sup>244</sup>. अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

<sup>245</sup>. अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

<sup>246</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

<sup>247</sup>. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा बढ़ाया गया।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जायेंगी।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परंतु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल या अधिकरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या आगत कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकारी की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां आगत कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

(12) अपील निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिर्दिष्ट और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

(14) अपील के निपटाने पर अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी और केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

## 108. पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां—

(1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा तथा यदि वह यह



मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>248</sup> के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई के पारिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को, वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि—

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यक्षीन है; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपील में ऐसी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय में किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं।

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,—

(i) “अभिलेख” में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे;

(ii) “विनिश्चय” में पुनरीक्षण प्राधिकारी से बैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी।

248. अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

[109 — इस अध्याय के उपबंधों के अध्यक्षीन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा ]<sup>249</sup>

[विलोपित]<sup>250</sup>

### 111. अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया—

(1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908<sup>251</sup> में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बद्ध होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यक्षीन द्वारा निर्देशित होगा और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(2) अपील अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908<sup>252</sup> के अधीन सिविल न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात्:—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872<sup>253</sup> की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यक्षीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तोवज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को खारिज करना;

**249.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा के स्थान पर प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापन से पूर्व धारा निम्न प्रकार था :-

“(1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम 2017<sup>249</sup> के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।

(2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017<sup>249</sup> की धारा 109 या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।”

**250.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा विलोपित । विलोपित से पूर्व धारा निम्न प्रकार थी :-

“110. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि—

राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>250</sup> की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा।”

**251.** अधिनियम संख्या—5 सन् 1908

**252.** अधिनियम संख्या—5 सन् 1908

**253.** अधिनियम संख्या—1 सन् 1872

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में भेजे—

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता, 1860<sup>254</sup> की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>255</sup> की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

## 112. अपील अधिकरण को अपील—

(1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>256</sup> के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति की संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा।<sup>257</sup>

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या शास्ति अवधारित होती हो तथा 50 हजार रूपए से अधिक न हो।

(3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्ता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या केन्द्रीय कर आयुक्त की प्रार्थना पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे

**254.** अधिनियम संख्या—45 सन् 1860

**255.** अधिनियम संख्या—2 सन् 1974

**256.** अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

**257.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना बारहवों) आदेश, 2020 विज्ञप्ति संख्या—76/ग्यारह—2—9(42)/17—2020 लखनऊ :: दिनांक :: 14 जनवरी, 2020 द्वारा निम्न प्रकार स्पष्टीकरण किया गया :-

“यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(क) उस दिनांक से जिस दिनांक को धारा 112 की उपधारा (1) में “उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सित की गई हो, अपील करने वाले व्यक्ति को, संसूचना दी जाती है, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा” की संगणना के प्रयोजन के लिए, तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित दिनाकों के उत्तरवर्ती दिनांक को माना जाएगा:—

(i) आदेश की संसूचना की दिनांक; या

(ii) वह दिनांक, जिस दिनांक को धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात्, यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;”

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।<sup>258</sup>

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं।

(5) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, में होगी।

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन जब तक फाइल नहीं की जाएगी तब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,—

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के 20% के बराबर राशि [अधिकतम 50 करोड़ रुपये के अधधीन]<sup>259</sup>।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक रोकी हुई समझी जाएंगी।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष—

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

**258.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना बारहवाँ) आदेश, 2020 विज्ञप्ति संख्या-76/ग्यारह-2-9(42)/17-2020 लखनऊ :: दिनांक :: 14 जनवरी, 2020 द्वारा निम्न प्रकार स्पष्टीकरण किया गया :-

“यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(ख) उस दिनांक से जिस दिनांक को धारा 112 की उप धारा (3) में “उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा” संगणना के प्रयोजन के लिए, छह मास की अवधि का प्रारम्भ निम्नलिखित दिनाकों के उत्तरवर्ती दिनांक को माना जाएगा :-

(i) आदेश की संसूचना की दिनांक; या

(ii) वह दिनांक, जिस दिनांक को धारा 109 में अपील अधिकरण के गठन के पश्चात, “यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है।”

**259.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

प्रत्येक आवेदन ऐसी ऐसे शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए।

### 113. अपील अधिकरण के आदेश—

(1) अपीलीय अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को ऐसे निदेशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हो, विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्रास्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा।

(3) यदि ऐसी कोई त्रुटि अपने-आप उसे संज्ञान में आ जाती है या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में आदेश की तारीख के तीन मास की अवधि में लाई जाती है तो अपीलीय अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो मूल्यांकन की वृद्धि या वापसी की कमी या इनपुट कर प्रत्यय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए।

(4) अपीलीय अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुने और विनिश्चय करेगा।

(5) अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त को यथास्थिति भेजेगा।

(6) जैसा कि धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित है, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**[विलोपित]<sup>260</sup>**

### 115. अपील के दाखिल करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज—

जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 112 की उपधारा (8) या धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित

**260.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा विलोपित। विलोपित से पूर्व धारा निम्न प्रकार थी :-

#### “114. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां—

राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए :

परन्तु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।”

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

### 116. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी—

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपधारा (1) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है—

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी ; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के वाणिज्य कर विभाग का या बोर्ड का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसने सरकार के अधीन अपील सेवा के दौरान समूह ‘ख’ राजपत्रित अधिकारी की रैंक से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(3) कोई व्यक्ति—

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो; या

(ख) जो इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>261</sup>, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>262</sup>, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>263</sup> या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल की पूर्ति या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया हो ;

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होगा—

(i) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए ; और

<sup>261</sup>. अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

<sup>262</sup>. अधिनियम संख्या—13 सन् 2017

<sup>263</sup>. अधिनियम संख्या—14 सन् 2017

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहें।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017<sup>264</sup> या किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के उपबंधों के अधीन निरर्ह है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्ह समझा जाएगा।

### 117. उच्च न्यायालय को अपील—

(1) [राज्य पीठों]<sup>265</sup> द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से 180 दिन की अवधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्रारूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए :

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्था अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे :

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो—

(क) [राज्य पीठ]<sup>266</sup>पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो; या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण [राज्य पीठ]<sup>267</sup>पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो।

**264.** अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

**265.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**266.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**267.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" के स्थान पर प्रतिस्थापित।



(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हों तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा।

(9) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908<sup>268</sup> के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहां तक संभव हो लागू होंगे।

### 118. उच्चतम न्यायालय को अपील—

ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी—

(क) [प्रमुख पीठ]<sup>269</sup> द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वतः या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामले में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिफ्री की अपील के मामले में भेजे हैं।<sup>270</sup>

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उलट गया हो वहां उच्चतम न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में होता है।

### 119. राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त किए जाने है—

किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा 113 के उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की [प्रमुख पीठ]<sup>271</sup> या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के [राज्य पीठ]<sup>272</sup> या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित

**268.** अधिनियम संख्या-5 सन् 1908

**269.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**270.** अधिनियम संख्या-5 सन् 1908

**271.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**272.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा "राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।



किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय की जाएगी।

### 120. कतिपय मामलों में अपील का फाइल किया जाना—

(1) आयुक्त परिषद् की सिफारिशों पर समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवादक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।

(3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिंदु पर विनिश्चय से वह अधिकारी राज्य कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

### 121. अपील न किए जाने वाले विनिश्चय और आदेश—

इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :—

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो; या

(ख) लेखा पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण या प्रतिधारित करने का कोई आदेश; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश।

## अध्याय 19

## अपराध और शास्तियां

## 122. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति—

(1) जहां कराधेय व्यक्ति जो—

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है या ऐसे किसी पूर्ति के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है ;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर संग्रह में असफल रहता है या कोई रकम संग्रहीत करता है जो उक्त उपधारा के अधीन संग्रहीत किए जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण है या जहां वह धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन कर के रूप में संग्रहीत रकम को सरकार को संदत्त करने में असफल रहता है ;

(vii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है ;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है ;

(x) इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से या वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है;

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है ;

(xiv) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन कराता है;

(xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को छिपाता है ;

(xvi) इस अधिनियम के या तदधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा की पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है ;

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(xvii) इस अधिनियम के या तदधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ;

(xviii) ऐसे किसी माल को पूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं ;

(xix) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;

(xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(xxi) किसी माल को खुर्दबुर्द या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जब्त या कुर्क किया हुआ था,

दस हजार रूपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संग्रहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

[(1क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) से आच्छादित संव्यवहार की प्रसुविधा प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपमुक्त या अन्तरित इनपुट कर प्रत्यय के बराबर की धनराशि की शास्ति के लिये दायी होगा।<sup>273</sup>

[(1ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो—

(i) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अन्तर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अन्तर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी जावकपूर्ति का, धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हो, में सम्मिलित कर की धनराशि के बराबर धनराशि, दोनों में जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।<sup>274</sup>

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल की पूर्ति या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है जिन पर उसके कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से प्रयोग किया है,—

(क) कपट के कारण भिन्न या किसी जानबूझ कर गलत कथन करता या कर बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा।

**273.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी।

**274.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

(ख) कपट के उद्देश्य से या कर अपवंचन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर की शास्ति से, जो उच्चतर हो, दायी होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो—

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है ;

(ख) किसी ऐसे माल का प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, पूर्ति करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का विश्वास रखता है कि वह इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी ;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके पूर्ति से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी पूर्ति को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिए कैफियत देने में असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी।

### 123. सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति—

यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि देने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रूपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी।

### 124. आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना—

यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है—

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है,

वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा में और जुर्माने से जो ऐसे प्रथम दिन जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस हजार रूपए की अधिकतम सीमा के अधीन एक सौ रूपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

### 125. साधारण व्यक्ति—

कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तदधीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी।

**126. शास्ति से संबंधित साधारण विधाएं—**

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा बिना कपटपूर्ण आशय या समय लापरवाही के बिना किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए—

(क) यदि किसी भंग जिसमें पांच हजार रूपए से कम का कर अंतर्वलित है तो वह “छोटा भंग” माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के अनुपात में होगी।

(3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले या विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि है या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है।

**127. कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति—**

जहां समुचित अधिकारी इस विचार का है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उद्गृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

**128. शास्ति या फीस या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति—**

सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब फीस का भागतः या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिशों पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कम करने वाली परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी।

**129. अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण—**

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है, तब सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त प्रवहण और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और प्रवहण से सम्बन्धित दस्तावेज अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण निर्मुक्त हो सकेगा—

[(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर का दो सौ प्रतिशत के संदाय पर, जो भी अधिक हो और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर की कोई धनराशि या पच्चीस हजार रूपए, जो भी कम हो, के संदाय पर निर्मुक्त किया जाएगा, जहाँ माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है।<sup>275</sup>

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर ;

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा।

[\*\*\*]<sup>276</sup>

(3) माल या वाहन को निरुद्ध करने वाला या उसका अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, ऐसी निरुद्धता या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और तत्पश्चात्, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए ऐसी नोटिस तामील किये जाने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।<sup>277</sup>

(4) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए [शास्ति]<sup>278</sup> उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी।

(6) जहाँ किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन शास्ति की धनराशि का संदाय करने में विफल रहता है, तो इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या वाहन,

**275.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खंड निम्न प्रकार थे :-

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के 100 प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहाँ माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहाँ माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;

**276.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा विलोपित। विलोपन से पूर्व उपधारा निम्न प्रकार थी :-

“(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”

**277.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा निम्न प्रकार थी :-

(3) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा।

**278.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा शब्द “कर, ब्याज या शास्ति” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

उपधारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि विहित किया जाए विक्रय किए जाने या अन्यथा निपटाए जाने का दायी होगा :

परंतु यह कि परिवहनकर्ता द्वारा उपधारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रूपए, जो भी कम हो, का संदाय किए जाने पर वाहन निर्मुक्त कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिग्रहीत किया गया माल नष्ट होने वाला या परिसंकटमय प्रकृति का हो या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास की संभावना हो, वहां उक्त पन्द्रह दिन की अवधि में समुचित अधिकारी द्वारा, कटौती की जा सकेगी।<sup>279</sup>

### 130. माल की जब्ती या प्रवहण और शास्ति का उद्ग्रहण—

(1) [जहाँ]<sup>280</sup> व्यक्ति—

- (i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल की पूर्ति या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या
- (ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या
- (iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल की पूर्ति ; या
- (iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या
- (v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का प्रधान यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से उस पर प्रभारित कर घटाने पर प्राप्त मूल्य से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति [ऐसे माल पर संदेय कर के सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति]<sup>281</sup> से कम नहीं होगा :

**279.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा निम्न प्रकार थी :-

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के चौदह दिन में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी :

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

**280.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा शब्द "इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण है वहां प्रवहण स्वामी को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प दिया जा सकेगा।

[\*\*\*]282

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा।

(6) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा।

### 131. जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा—

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>283</sup> में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड से प्रवारित नहीं करेगा।

### 132. कतिपय अपराधों के लिए दंड—

(1) [जो कोई निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, या करवाता है और उससे होने वाली प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करता है]<sup>284</sup>, अर्थात् :-

(क) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निक्षेप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों की पूर्ति बिना बीजक या बिल के जारी करना;

**281.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा शब्द, कोष्ठक और अंक "धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**282.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा विलोपित। विलोपन से पूर्व उपधारा निम्न प्रकार थी :-

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर जुर्माना किया गया है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण स्वामी या व्यक्ति इसके अतिरिक्त किसी ऐसे माल या प्रवहण की बाबत किसी कर शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा।

**283.** अधिनियम संख्या-2 सन् 1974

**284.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है" प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



[ग] खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है अथवा बिना किसी बीजक या बिल के इनपुट कर प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग करता है;]<sup>285</sup>

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है;

(ङ) कर अपवंचन, [\*\*\*]<sup>286</sup> या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता ;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झुठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्तुत करता है ;

[विलोपित]<sup>287</sup>

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के अधीन जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, पूर्ति करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में निपटाता है ;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके पूर्ति से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा पूर्ति में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है ;

[विलोपित]<sup>288</sup>

[विलोपित]<sup>289</sup>

**285.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रतिस्थापित एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी। प्रतिस्थापन से पूर्व खण्ड निम्नलिखित था:-

“(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल में प्रयोग का इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है ;”

**286.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों “कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति” को निकाल दिया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी।

**287.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा विलोपित। विलोपित से पूर्व खंड निम्न प्रकार था :-

“(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है ;”

**288.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा विलोपित। विलोपित से पूर्व खंड निम्न प्रकार था :-

“(ज) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;”

**289.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा विलोपित। विलोपित से पूर्व खंड निम्न प्रकार था :-

“(ट) किसी सूचना देने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमों के अधीन पूर्ति के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा पूर्ति की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या”

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

(ठ) इस धारा के [खंड (क) से (च) और खंड (ज) और (झ)]<sup>290</sup> में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

दण्डनीय होगा—

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रुपये से अधिक है ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रुपये से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष हो सकेगा और जुर्माने से;

(iii) जहां [खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध में]<sup>291</sup> कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रूपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से;

(iv) खंड (च) [विलोपित]<sup>292</sup> या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से,

(3) उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह मास से कम अवधि का नहीं होगा।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973<sup>293</sup> में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय और जमानतीय होगा।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद “कर” में अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई कर प्रत्यय की रकम या प्रयुक्त की गई रकम या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रूप से ली गई रकम केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017<sup>294</sup> या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम,

**290.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा “खंड (क) से खंड (ट)” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**291.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

**292.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा द्वारा “या खंड (छ) या खंड (ज)” विलोपित।

**293.** अधिनियम संख्या-2 सन् 1974

**294.** अधिनियम संख्या-12 सन् 2017

2017<sup>295</sup> तथा माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम 2017<sup>296</sup> के अधीन उद्गृहीत उपकर सम्मिलित है।

### 133. अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व—

(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल के अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन से अन्यथा के लिए जानबूझकर सूचना का प्रकटीकरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ;

(ख) जो सरकार सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।

### 134. अपराध का संज्ञान—

न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय इस अपराध का विचारण नहीं करेगा।

### 135. आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान—

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “आपराधिक मानसिक दशा” पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य है;

(ii) एक सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेह के विश्वास करता है और केवल इसलिए जब इसकी विद्यमानता प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है।

### 136. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगतता—

इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्यों की सत्यता जिसमें अन्तर्विष्ट होगा—

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मर गया है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा हटा दिया गया है या जिसकी देरी या व्यय के बिना

295. अधिनियम संख्या—13 सन् 2017

296. अधिनियम संख्या—15 सन् 2017

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

उपस्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है, जिसे मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानता हो या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

### 137. कंपनियों द्वारा अपराध—

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए दायी होंगे तथा दण्डित किये जायेंगे। ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसे ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ii) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

### 138. अपराधों का प्रशमन—

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमनीय होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

[क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिये अनुज्ञात किया गया था]<sup>297</sup>

**297.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित से पूर्व खंड निम्न प्रकार था :-

“(क) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खंड (1) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है;”

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

[विलोपित]<sup>298</sup>

[ग] कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है;<sup>299</sup>

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है ;

[विलोपित]<sup>300</sup>

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा तो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालेगा।

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम [अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि के अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने]<sup>301</sup> के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर समान अपराध और किसी अन्य दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन संस्थित नहीं होगी, और यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जाएगी।

**298.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा विलोपित। विलोपिन से पूर्व खंड निम्न प्रकार था :-

“(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रूपए से अत्यधिक मूल्य की पूर्ति के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के उपबंधों के अधीन जो खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था”

**299.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापिन से पूर्व खंड निम्न प्रकार था :-

“(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है;”

**300.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा विलोपित। विलोपिन से पूर्व खंड निम्न प्रकार था :-

“(ड) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छह) या खंड (ज) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है ; और”

**301.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा “दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

## अध्याय 20

## संक्रमणकालीन उपबंध

## 139. विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन—

(1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अंतिम प्रमाण-पत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।

## 140. निवेश प्रतिदेय कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं—

(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता में नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी जिसे उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन [तथा ऐसी समयावधि के भीतर और] 302 ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत किया गया है, मूल्य संवर्धित कर और प्रवेश कर की रकम यदि कोई हो की रकम के प्रत्यय का अग्रणीत करने के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात्:—

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956<sup>303</sup> धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6 क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी<sup>304</sup> :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुटकर प्रत्यय की जमा अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का, जो

**302.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों का बढ़ाया जाना एवं प्रभावी दिनांक 01 जुलाई, 2017

**303.** अधिनियम संख्या-74 सन् 1956

**304.** औद्योगिक प्रोत्साहन रखने वाले राज्यों को लागू

विवरणी में अग्रणीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन [तथा ऐसी समयावधि के भीतर]<sup>305</sup> लेने को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में भी अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय” पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि इनपुट कर प्रत्यय की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने इनपुट कर प्रत्यय की औसत रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था ;

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और उनके पश्चात्कर्ती विक्रय राज्य में कर के अधीन नहीं है, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खातों में [स्टॉक में धारित अर्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये]<sup>306</sup> निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात् :-

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधेय पूर्ति करने के लिए ऐसे निवेश या मालों के उपयोग या कराधेय पूर्ति करने के लिए उपयोग के आशयित हैं ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र होगा ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप हैं, रखता है ;

(iv) नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी किए गए ऐसे बीजक या अन्य विहित दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे;

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ हस्तांतरित करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसे जमा को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर जमा करने का अनुज्ञात होगा।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनिर्माण में लगा है, अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,—

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रणीत मूल्यवर्धित कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम; और

**305.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों का बढ़ाया गया एवं प्रभावी दिनांक 01 जुलाई, 2017

**306.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों “स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्यसंवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए” को प्रतिस्थापित किया गया एवं प्रभावी दिनांक 01 जुलाई, 2017



(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टॉक में रखे गये इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्य संवर्धित कर यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में मूल्य संवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय [विद्यमान विधि के अधीन ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाये]<sup>307</sup> के अधीन पूर्तिकार द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था :

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर तीस दिन की और अधिक अवधि आयुक्तद्वारा विस्तारित होगी :

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए [नियत दिन को अपने स्टॉक में अन्तर्विष्ट अर्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टॉक में धारित स्टॉक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये]<sup>308</sup>की जमा अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :-

(i) इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेश या मालों जो प्रयोग किए गए हैं या कराधेय पूर्ति करने के लिए आशयित हैं ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में है ; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए।

#### 141. फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध—

(1) नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, जहां कोई इनपुट, कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो

**307.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों "विद्यमान विधि" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया एवं प्रभावी दिनांक 01 जुलाई, 2017

**308.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों "नियत दिन को अपने स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टॉक में धारित स्टॉक और निवेश के संबंध में पात्र शुल्क" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया एवं प्रभावी दिनांक 01 जुलाई, 2017



उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को फुटकर काम के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है :

परन्तु छह मास की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा निवेश इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा :

(2) जहां कोई अर्द्ध तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए या, यथास्थिति, छह मास के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर या निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा।

(3) जहां कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद-शुल्क योग्य माल विनिर्माता को बिना बताए किसी अन्य प्रक्रिया अथवा बाहर परिक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के बिना संदाय के किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में नियत की गई तारीख और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त कारबार के स्थान पर अथवा नियत की गई तारीख के पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियुक्त तारीख से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर से भारत में कर के संदाय पर उक्त अन्य परिसरों में उक्त मालों को, वहां से आगे उनका कहीं और पूर्ति करने के प्रयोजन के लिए या, निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि केवल विनिर्माता और कार्य-कर्मकार यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख पर विनिर्माता की ओर से कार्य-कर्मकार द्वारा स्टॉक में रखे माल अथवा निवेश के ब्यौरे में घोषणा करेगा।

**142. प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध—**

(1) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, नियत तारीख से छह मास पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत तारीख को अथवा उसके पश्चात् कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय शुल्क के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है तथा ऐसे माल उचित अधिकारी के समाधान पर्यन्त पहचान योग्य है :

परन्तु यह कि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी आपूर्ति के लिए समझी जाएगी।

(2) (क) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख को या उसके पश्चात् उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, तो ऐसे (रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल का विक्रय किया है, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट प्राप्तिकर्ता को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा नामे नोट को इस नियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत तारीख को अथवा उसके पश्चात् नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने मालों का विक्रय किया था, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा जमापत्र प्राप्तिकर्ता को जारी करेगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा जमापत्र को इस नियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल प्रत्यय नोट के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि प्रत्यय नोट के प्राप्तिकर्ता ने कर दायित्व की ऐसी कटौती के अनुरूप अपना इनपुट कर प्रत्यय में कटौती कर दिया है।

(3) विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज अथवा कोई अन्य रकम, के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाया जाएगा और उसके लिए प्रोद्भूत की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद संदेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(4) नियुक्त तारीख के पश्चात् अथवा उसके पूर्व निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन किसी संदत्त कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसार निपटाया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

(6) (क) आशयित इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनःविलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो तथा दावा करने के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम विद्यमान विधि के अधीन नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की गयी है :

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(ख) आशयित इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख को, उसके पश्चात् अथवा उसके पूर्व की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या निदेश के परिणाम के रूप में वसूली योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूली की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन निवेशकर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(7)(क) आशयित बाहरी शुल्क अथवा देय कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निपटाई जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूली की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आशयित आउटपुट कर दायित्व के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, समीक्षा अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जाएगी तथा कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है तो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(8)(क) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियम दिन को या उसके पश्चात संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसरण में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम किसी व्यक्ति से वसूलनीय हो जाती है तो उस रकम को जब तक कि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न की गई हो इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन नियम दिन को या उसके पश्चात् संस्थित निर्धारण या न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के अनुसार में किसी कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है तो उस रकम का उसे उक्त विधि के अधीन नकद में प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(9)(क) जहां विद्यमान विधि के अधीन प्रस्तुत की गयी किसी विवरणी का नियत दिन के पश्चात् पुनरीक्षण किया जाता है और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलनीय पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अनुज्ञेय पायी जाती है तो उसको, यदि विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर लिया गया हो, तब उसकी वसूली इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के बकाया के रूप में की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गयी रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन तैयार की गई हो, नियत तारीख के पश्चात् परन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदाय की जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय किसी कर योग्य व्यक्ति के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, विद्यमानविधि के अधीन इसे नगद प्रतिदाय किया

जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख के पश्चात् अथवा माल या सेवा अथवा दोनों आपूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा।

(11)(क) धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मालों पर कोई कर उस विस्तार तक संदेय नहीं होगा जिस तक उक्त मालों पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008<sup>309</sup> के अधीन उद्ग्रहीत किया गया था।

(ख) धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994<sup>310</sup> के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था।

(ग) जहां उत्तर प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2008<sup>311</sup> और वित्त अधिनियम, 1994<sup>312</sup> के अध्याय 5 के अधीन दोनों से किसी आपूर्ति पर कर देय था, ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात् की गई पूर्तियों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन मूल्यवर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को लेने के लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसा विहित की जाए गणना की जाएगी।

(12) जहां कोई माल नियत तारीख के पूर्व छह मास से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, वहां क्रेता द्वारा वापस किया जाता है अथवा अनुमोदन नहीं किया जाता है और नियत तारीख के पश्चात् अथवा उस तारीख को विक्रेता को वापस किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कर माल के वापस किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् वापस किया जाता है :

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है।

(13) जहां पूर्तिकार ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008<sup>313</sup> के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत तारीख के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त पूर्तिकार को संदाय नियत तारीख के पश्चात् किया जाता है।

(14) जहां प्रधान के कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा, अर्थात् :—

**309.** उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008

**310.** अधिनियम संख्या-32 सन् 1994

**311.** उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008

**312.** अधिनियम संख्या-32 सन् 1994

**313.** उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008

(i) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है ;

(ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए;

(iii) ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह मासों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे; और

(iv) प्रधान ने या तो ऐसे,—

(क) मालों ; या

(ख) पूंजी मालों ;

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए “पूंजी माल” पद का वही अर्थ होगा, जो उसका उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008<sup>314</sup> में उसके लिए समनुदेशित है।

<sup>314</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अध्याय 21

## प्रकीर्ण

## 143. छुटपुट कार्य की प्रक्रिया—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" के रूप में निवेशित किया गया है)। ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए और सूचना के अधीन छुटपुट कार्य के लिए छुटपुट कार्यकर्ता को बिना कर के संदाय के कोई निवेश अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पश्चात्कर्ती रूप में अन्य छुटपुट कार्यकर्ता को भेज सकता है, और—

(क) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा ;

(ख) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी माल, भारत के भीतर कर के संदाय पर अथवा निर्यात के लिए कर संदाय के साथ या उसके बिना या जैसी स्थिति हो छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से उनके बाहर भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, आपूर्ति करेगा :

परन्तु यह कि प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान उस दशा के सिवाए कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—

(i) जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है।

[परन्तु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः अनधिक एक वर्ष और दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।<sup>315</sup>

(2) निवेश अथवा पूंजी माल के लिए लेखाओं का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगी।

(3) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया निवेश उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में छुटपुट कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे निवेश की छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त निवेश बाहर भेजे गए थे।

(4) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी माल छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपशिष्ट और छुटपुट कार्य के दौरान उत्पादित स्क्रैप कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे छुटपुट कर्मकार के द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा प्रधान द्वारा यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

**315.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया।

स्पष्टीकरण—छुटपुट कार्य के उद्देश्य हेतु निवेश में प्रधान या किसी छुटपुट कर्मकार द्वारा निवेश पर किये गए किसी उपाय या कार्यवाही से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित है।

#### 144. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा, छूट प्राप्त—

जहां कोई दस्तावेज—

- (i) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा
- (ii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रहण किया गया है ; अथवा
- (iii) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, उसके विरुद्ध अभियोजन द्वारा निविदत किया गया हो, न्यायालय—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी।

(i) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सत्यता ;

(ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादित या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य निष्पादन या अभिप्रमाणन किया गया हो ;

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यकतः स्टांपित नहीं है, दस्तावेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में अन्यथा ग्राह्य है।

#### 145. दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की माइक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता—

(1) तत्समयप्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए—

(क) ऐसे माइक्रोफिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुर्नउत्पादन या दस्तावेजों की माइक्रोफिल्म (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति ; या

(ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनहित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए ; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रॉनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्ड प्रतियां भी शामिल है,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुततिकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की ईच्छा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र—

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे लिया गया है ;



(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी व्यक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाण पत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामले में पर्याप्त होगा।

#### 146. सामान्य पोर्टल—

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकरण प्रसुविधा, कर के संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण एकीकृत कर की संगणना और निपटान इलेक्ट्रॉनिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाए के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

#### 147. निर्यात समझा जाना—

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत नहीं छोड़ता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय भारतीय रूपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विनिर्मित किया गया है, कतिपय माल की पूर्ति को निर्यात के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगा।

#### 148. कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति—

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी।

#### 149. माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समानुदेशित कर सकेगी।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को अवधारित अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति जो विहित की जाए पब्लिक डोमेन में भी रखी जा सकेगी।

#### 150. सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता—

(1) कोई व्यक्ति—

(क) कोई कराधेय व्यक्ति होने के कारण ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम होने के कारण ; या

(ग) मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य उत्पाद कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारण ; या

(घ) आय कर अधिनियम, 1961<sup>316</sup> के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारण ; या

<sup>316</sup>. अधिनियम संख्या-43 सन् 1961



- (ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934<sup>317</sup> की धारा 45क के खंड (क) के अर्थ के अंतर्गत कोई बैंक कंपनी; या
- (च) विद्युत अधिनियम, 2003<sup>318</sup> या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाके अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञापिधारक; या
- (छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908<sup>319</sup> की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार; या
- (ज) कंपनी अधिनियम, 2013<sup>320</sup> के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार; या
- (झ) मोटर यान अधिनियम, 1988<sup>321</sup> के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रार करने को सशक्त करने वाला रजिस्टर करने वाला प्राधिकारी ; या
- (ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013<sup>322</sup> की धारा 3 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट क्लस्टर; या
- (ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956<sup>323</sup> की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज; या
- (ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996<sup>324</sup> की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड़) में निर्दिष्ट निक्षेपागार; या
- (ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934<sup>325</sup> की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी; या
- (ढ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई रजिस्टर्ड कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क; या
- (ण) धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्या; या
- (त) सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति;

जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे के अंतर्विष्ट संदाय के दस्तावेज या दोनों या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रय या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप या रीति में और यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को जैसा कि विहित किया जाय, उसकी सूचना विवरणी देगा।

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह त्रुटिपूर्ण ऐसी सूचना विवरण भरने वाले उस व्यक्ति को

317. अधिनियम संख्या-2 सन् 1934

318. अधिनियम संख्या-36 सन् 2003

319. अधिनियम संख्या-16 सन् 1908

320. अधिनियम संख्या-18 सन् 2013

321. अधिनियम संख्या-59 सन् 1988

322. अधिनियम संख्या-30 सन् 2013

323. अधिनियम संख्या-42 सन् 1956

324. अधिनियम संख्या-22 सन् 1996

325. अधिनियम संख्या-2 सन् 1934

सूचित करेगा और उसको ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या जो कि उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटिपूर्ण के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करेगा और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे सूचना परिदान की तारीख से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा।

### 151. सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति—

[आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले के संबंध में, कोई सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।]<sup>326</sup>

### 152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन—

(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में [\*\*\*]<sup>327</sup> सूचना, बिना सहमति के अनुरूप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति के यथाविनिर्दिष्ट पहचान किए गए ऐसी विवरणी को सक्षम बना सके और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए [संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना]<sup>328</sup> उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

[\*\*\*]<sup>329</sup>

**326.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा निम्न प्रकार थी :-

(1) आयुक्त, यदि यह विचार करता है कि इसे दिया जाना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उससे संबंधित या इस अधिनियम के संबंध में किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा।

(2) ऐसी सूचना जारी करने पर आयुक्त या उसकी ओर से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथा विहित, ऐसे प्ररूप और रीति में उन सांख्यिकियों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

**327.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा शब्द "किसी व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की" विलोपित।

**328.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा शब्दों का बढ़ाया जाना।

**329.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा विलोपित। विलोपन से पूर्व उपधारा निम्न प्रकार थी :-

"(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यक्ति विवरणी को देखने या उसकी पहुंच तक को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।"

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(3) इस धारा की किसी बात का कराधेय व्यक्ति वर्ग या संव्यवहार वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

### 153. किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना—

सहायक आयुक्त से अनिम्न कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संविक्षा, जांच अन्वेषण या कोई अन्य प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

### 154. नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति—

आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह यह आवश्यक समझे किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और लिए गए किसी भी नमूनों की रसीद उपलब्ध कराएगा।

### 155. सबूत का भार—

जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।

### 156. व्यक्ति लोकसेवक समझा जायेगा—

इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता<sup>330</sup> की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आने वाले लोक सेवक समझे जाएंगे।

### 157. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण—

(1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात या सद्भाव में किए जाने को आशयित के लिए या अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

(2) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव में की गई कोई बात या किए जाने को आशयित के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी।

### 158. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना—

(1) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणी या लेखा या दस्तावेजों या (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में अंतर्विष्ट सभी विवरणों को उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय प्रकट नहीं किया जाएगा।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872<sup>331</sup> में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण के संबंध में अपने समक्ष पेश किए जाने या साक्ष्य दिए जाने हेतु इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से अपेक्षा नहीं करेगा।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के,—

<sup>330</sup>. अधिनियम संख्या—45 सन् 1860

<sup>331</sup>. अधिनियम संख्या—1 सन् 1872

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

- (क) भारतीय दंड संहिता<sup>332</sup> या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988<sup>333</sup> या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई विशिष्टियां ; या
- (ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कार्यकारी कोई व्यक्ति कोई विशिष्टियां; या
- (ग) किसी नोटिस के तामील या किसी मांग की वसूली के लिए कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा जहां ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां ; या
- (घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में एक सिविल न्यायालय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसा कोई प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है की कोई विशिष्टियां ; या
- (ङ) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति की लेखापरीक्षा या अधिरोपित कर के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां ; या
- (च) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी जांच करने के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे विवरण सुसंगत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति के कोई विशिष्टियां ; या
- (छ) कर या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की कोई ऐसी विशिष्टियां ; या
- (ज) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन उसकी या उसकी शक्तियां कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण कार्य द्वारा जब ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां ; या
- (झ) यथास्थिति, किसी विधि व्यवसाय, किसी लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव के व्यवसाय में व्यवसायरत सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी को सशक्त किए जाने के लिए विधि व्यवसाय अधिवक्ता, कर व्यवसायिक, लागत लेखाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव के व्यवसाय में लगे हुए के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के संबंध में अवचार के आरोपों में की गई जांच से संबंधित कोई विशिष्टियां ; या
- (ञ) डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए को छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग का प्रकट करने की संविदा आबद्ध नहीं है, किसी अभिकरण का नियुक्त किए जाने की कोई विशिष्टियां ; या
- (ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक सरकार के किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां ; और
- (ठ) प्रकाशन के लिए किसी कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्ग या संव्यवहार के वर्ग की ऐसी सूचना का प्रकाशन यदि, आयुक्त की राय में यह लोकहित में वांछनीय है, से संबंधित कोई सूचना, को प्रकटन करने के लिये लागू नहीं होगी।

332. अधिनियम संख्या-45 सन् 1860

333. अधिनियम संख्या-49 सन् 1988

**[158क]** (1) धारा 133, 152 और 158 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन और परिषद की सिफारिशों के आधार पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, के साथ ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जायं, साझा किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल कृत विवरणी में प्रस्तुत विशिष्टियां;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी. —

(क) उप-धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकर्ता; और

(ख) उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथाविहित प्रपत्र में और रीति से प्रस्तुत विवरण, केवल जहाँ ऐसे विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।<sup>334</sup>

### 159. कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन—

(1) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम और कोई अन्य विशिष्टियां का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, जो वह ठीक समझे, ऐसी रीति में ऐसे नाम और विशिष्टियां का प्रकाशन कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा यदि इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय का किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की गयी है, तो उसका निपटारा हो गया है।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम, फर्म के भागीदारों का नाम, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या सदस्यों का संगम की दशा में ; प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति न्यायोचित ठहराई गई है।

### 160. कतिपय स्तरों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना—

(1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई निर्धारण पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनःविलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई अन्य कार्यवाहियां, प्रतिग्रहण, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया अविधिमान्य या उसमें किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण अविधिमान्य समझा नहीं जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनःविलोकन,

**334.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया ।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षा अनुरूपता या के अनुसरण में सार और प्रभाव हैं।

(2) कोई नोटिस, आदेश या संचार की तामील, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संचार पर उस व्यक्ति द्वारा पहले ही कार्यवाही कर ली गयी है जिसके नाम उसे जारी किया गया है या जहां ऐसे तामील को पूर्व में प्रश्नगत नहीं किया गया है या ऐसे नोटिस, आदेश या संचार के अनुसरण में कार्यवाहियां प्रारम्भ, चालू या पूर्ण कर ली गई हों।

### 161. अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोध—

धारा 160 पर उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बातों के होते हुए भी कोई प्राधिकारी, जो किसी पारित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहां ऐसी त्रुटियां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>335</sup> के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है :

परंतु यह कि ऐसे परिशोधन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त छह मास की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि, किसी घटनावश चूक या लोप से उद्भूत संशोधन के स्वरूप में शुद्धता की गई हो:

परंतु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन के प्रतिकूल प्रभावित है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत का ऐसे परिशोधन किए जाने का प्राधिकारी द्वारा पालन किया गया हो।

### 162. सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन—

धारा 117 और 118 में यथाउपबंधित के सिवाय किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन की गई या किये जाने हेतु तात्पर्यित किसी बात, से संबंधित कार्यवाही करने या किसी प्रश्न से उद्भूत होने वाले विनिश्चय की अधिकारिता नहीं होगी।

### 163. फीस उदग्रहण—

जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस संदत्त की जाएगी।

### 164. नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति—

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या इस अधिनियम द्वारा कोई भी मामले जो अपेक्षित हैं या विहित किया गया है या उन उपबंधों के संबंध में जो किए जाने हैं या नियमों द्वारा बनाए जा सकें, नियम बना सकेगी।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में या उनमें से किन्हीं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं।

<sup>335</sup>. अधिनियम संख्या—12 सन् 2017

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए कोई नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार से अनाधिक शास्ति लगाए जाने के दायी का उपबंध कर सकेगा।

### 165. विनियम बनाने की शक्ति—

सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

### 166. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना—

इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के पश्चात् राज्य विधान—मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान—मंडल नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या राज्य विधान—मंडल इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात् यथास्थिति केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

### 167. शक्तियों का प्रत्यायोजन—

आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए किसी और प्राधिकारी या कार्यालय द्वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकेगा।

### 168. अनुदेशों या निदेशों को जारी करना—

आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को जो उचित समझे ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का संप्रेक्षण और पालन करेंगे।

### [168क विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति—

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

(2) इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।<sup>336</sup>

<sup>336</sup>. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2020) संख्या 1574/79-वि-1-20-1(क)-19-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रभावी।



**169. कतिपय मामलों में नोटिस की तामील—**

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात् —

(क) प्रेषिती कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी व्यस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा ; या

(ख) व्यक्ति, जिससे आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को जिससे अभिस्वीकृति देय है रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा ; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा ; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा ; या

(ङ) परिक्षेत्र जहां, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या व्यक्तिगत तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचारपत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा ; या

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो संबद्ध अधिकारी या प्राधिकारी जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो सामान्यतः जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचाने में लगती है, के अनुसार प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता।

**170. कर का पूर्णांकन आदि—**

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटतम रूपए के लिए पूर्णांकित होगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रूपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रूपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

**171. मुनाफाखोरी निरोध उपाय—**

(1) किसी माल या सेवाओं के पूर्ति या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में किसी कमी को मूल्यां में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दे दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामतः माल और सेवाओं या उसके द्वारा पूर्ति किए गए दोनों के मूल्यां में अनुरूप कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिसूचना द्वारा, प्राधिकारी का गठन या किसी विद्यमान प्राधिकारी को सशक्त बना सकेगी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित



(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

[3क] जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जाँच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह कि ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी, यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद “मुनाफाखोरी” से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।<sup>337</sup>

### 172. कठिनाइयों को दूर करना—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी/ऐसे उपबंध कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से [पाँच वर्ष]<sup>338</sup> की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

### 173. कतिपय अधिनियमों का संशोधन—

इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(i) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959<sup>339</sup> की धारा 172 की उपधारा (2) का खंड (ज) तथा धारा 192, 193 का लोप किया जाएगा।

(ii) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916<sup>340</sup> की धारा 128 की उपधारा (2) का खंड (7) का लोप किया जाएगा।

(iii) उत्तर प्रदेश कराधान एवं भू राजस्व, विधियाँ अधिनियम, 1975<sup>341</sup> का अध्याय 2 का लोप किया जाएगा।

**337.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2020) विज्ञप्ति संख्या 415/79-वि-1-20-1(क)-1-2020 लखनऊ, 12 मार्च, 2020 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी।

**338.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों “तीन वर्ष” को प्रतिस्थापित किया गया।

**339.** उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959

**340.** उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916

**341.** उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 1975

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

### 174. निरसन और व्यावृत्ति—

(1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों का निरसन किया जाता है, अर्थात् :—

- (i) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के सिवाय, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008<sup>342</sup> ;
- (ii) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007<sup>343</sup> ;
- (iii) उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979<sup>344</sup> ;
- (iv) उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर अधिनियम, 1981<sup>345</sup> ;
- (v) संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट, डीजल तथा अलकोहल कराधान अधिनियम, 1939<sup>346</sup> ;
- (vi) उत्तर प्रदेश गन्ना क्रयकर अधिनियम, 1961<sup>347</sup> ;

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है)।

(2) धारा 173 या उपधारा (1) में उल्लिखित विस्तार तक उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति "ऐसा संशोधन" या "संशोधित अधिनियम" कहा गया है),—

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) पूर्व प्रचालित संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ग) ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, या अर्जित, प्रोदभूत या उपगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है ;

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज जो देय है या देय हो सकते हैं या कोई रामपहरण या संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध या उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (समीक्षा एवं सम्परीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (समीक्षा एवं सम्परीक्षा सहित),

<sup>342</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008

<sup>343</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 2007

<sup>344</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-28 सन् 1979

<sup>345</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 1981

<sup>346</sup>. संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-1 सन् 1939

<sup>347</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-9 सन् 1961

निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उदग्रहीत या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इन अधिनियमों को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को संशोधित और निरसित न किया गया हो।

(3) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904<sup>348</sup> की धारा 6 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा।

<sup>348</sup>. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

## अनुसूची-1

## (धारा 7)

**क्रियाकलापों को पूर्ति के में माना जाए भले ही बिना प्रतिफल के किया गया हो।**

1. जहां इनपुट कर प्रत्यय का ऐसी आस्तियों पर उपभोग किया गया है वहां कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान।
2. जब कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में किया गया, धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों का पूर्ति :  
परंतु यह कि किसी नियोजन द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अनधिक मूल्य का दान दिया गया, को माल या सेवा या दोनों की पूर्ति नहीं माना जाएगा।
3. (क) किसी प्रधान द्वारा उसके अभिकर्ता को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल की पूर्ति करने का वचन देता है।  
(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके प्रधान को माल की पूर्ति, जहां अभिकर्ता प्रधान की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है।
4. कारबार के अग्रसर या अनुक्रम में, [व्यक्ति]<sup>349</sup> द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात।

.....

**349.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा "कराधेय व्यक्ति" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## अनुसूची-2

## (धारा 7)

क्रियाकलापों [या संव्यवहार]<sup>350</sup> को माल की पूर्ति या सेवाओं की पूर्ति के रूप में माना जाए

## 1. अंतरण—

- (क) माल में हक का कोई अंतरण, माल की पूर्ति है ;
- (ख) माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का उसके हक के अंतरण के बिना, कोई अंतरण, सेवाओं की पूर्ति है ;
- (ग) कोई करार जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति जैसी सहमती हुई है कि अनुसार पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर भविष्य की तारीख को हस्तांतरित होगा, माल की पूर्ति है।

## 2. भूमि और भवन—

- (क) कोई पट्टा अभिधृति, सुखाचार, भूमि के अधिभोग की अनुज्ञप्ति, सेवाओं की पूर्ति है ;
- (ख) भवन जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय प्रक्षेत्र पूर्णतः या अंशतः कोई पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं की पूर्ति है।

## 3. व्यवहार या प्रक्रिया—

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं की पूर्ति है।

## (4) कारबार आस्तियों का अंतरण—

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहे ; जो विचारणीय है या नहीं, ऐसे अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल की पूर्ति है ;

(ख) जहां कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन, कारबार के प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग किए गए माल को कारबार के प्रयोजनों से भिन्न किसी निजी उपयोग के लिए रखा गया है या उपयोग कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को कारबार के प्रयोजन के सिवाय किसी प्रयोजन में उपयोग के लिये उपलब्ध कराया गया है, [\*\*\*] 351, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना, सेवाओं की पूर्ति है

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत हो जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में उसके द्वारा पूर्ति किया गया समझा जाएगा, जब तक कि :—

(i) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता है ; या

(ii) कारबार ऐसे वैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा।

**350.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा शब्दों को बढ़ाया गया।

**351.** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2020) संख्या 1573/79-वि-1-20-1(क)-27-20 लखनऊ, 31 अगस्त, 2020 द्वारा शब्दों "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो" को हटाया गया एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नेशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

(5) सेवाओं की पूर्ति ---

निम्नलिखित को सेवा की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात् ---

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) समापन प्रमाण-पत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात्; जो भी पहले हो, के सिवाय प्रक्षेत्र का सन्निर्माण, भवन, सिविल संरचना या उसका कोई भाग, जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रय के लिए आशयित पूर्णतः या अंशतः प्रक्षेत्र या भवन।<sup>352</sup>

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए—

(1) पद "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी और ऐसे प्राधिकारी की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्हीं में से, अर्थात् :-

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972<sup>353</sup> के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद् ; या

(ii) इंजीनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजीनियर ; या

(iii) क्रमशः शहर का स्थानीय निकाय या कस्बा या गांव या विकास या योजना प्राधिकारी का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक ;

(2) पद "सन्निर्माण" जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण है ;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, क्रमादेशन, अनुकूलत, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना ; और

(च) किसी प्रयोजन (किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का अंतरण।

6. संयुक्त पूर्ति—

निम्नलिखित संयुक्त पूर्तियों को सेवाओं की पूर्ति माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा ; और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या हिस्से के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल, खाद्य वस्तुएं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीजें या कोई पेय (मानव उपभोग हेतु

**352.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (कठिनाईयों का आठवाँ निराकरण) आदेश, 2019 विज्ञप्ति संख्या क0नि0-2-813/ग्यारह-9(42)/17-2019 लखनऊ :: दिनांक :: मई 28, 2019 द्वारा निम्न प्रकार स्पष्टीकरण किया गया :-

"यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के मद (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की पूर्ति के मामले में, शून्य दर वाली पूर्तियों और छूट प्राप्त पूर्तियों सहित कराधेय पूर्तियों से संबंधित क्रेडिट राशि का अवधारण उस कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के या उसके आंशिक भाग के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।

यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।"

**353.** उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1972

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित

शराब द्रवण के अतिरिक्त) जहां ऐसा पूर्ति या सेवा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है, की पूर्ति।

[\*\*\*]354

.....

**354.** उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2021) विज्ञप्ति संख्या संख्या 1090/79-वि-1-21-1-क-32-21 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा विलोपित एवं दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी। विलोपन से पूर्व पैरा निम्न प्रकार था :-

7. माल की पूर्ति-

निम्नलिखित को माल की पूर्ति के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :-

किसी सदस्य को किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति के निकाय द्वारा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की पूर्ति।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यक्ति विवरणी को देखने या उसकी पहुंच तक को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**

## अनुसूची 3

## (धारा 7)

**क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल की पूर्ति माना जाएगा न ही सेवाओं की पूर्ति**

1. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को सेवाएं।
2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं।
3. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किए गए कृत्य ;  
(ख) उस हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए गए कर्तव्य ; या  
(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित निकाय में निदेशक द्वारा और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा जाए, किये गये कर्तव्य।
4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं।
5. भूमि का विक्रय और अनुसूची-2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्याधीन भवन का विक्रय।
6. [विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों]<sup>355</sup> से भिन्न के अनुयोज्य दावे।

[[7. भारत के बाहर के किसी स्थान से, भारत के बाहर के किसी अन्य स्थान के लिये माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना, पूर्ति।

8. (क) घरेलू उपयोग के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार के माल की पूर्ति;

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल को भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषित किए जाने के पश्चात किन्तु घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व माल के हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति <sup>356</sup>।

स्पष्टीकरण [1]<sup>358</sup>—पैरा 2 के प्रयोजन के लिए शब्द “न्यायालय” के अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सम्मिलित है।

[स्पष्टीकरण 2—पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, पद “भांडागार में रखे गए माल” का वही अर्थ होगा, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1962) में उसके लिये समनुदेशित है <sup>359</sup>।<sup>360</sup>

**355** . उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा “लाटरी, दांव और द्यूत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**356** . उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**357** . उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी किया गया।

**358** . उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 किया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**359** . उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 2018) विज्ञप्ति संख्या 2577/79-वि-18-1क-23-18 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2018 द्वारा बढ़ाया गया एवं दिनांक 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी।

**वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नैशनल लॉ बुक पब्लिकेशन्स, गाजियाबाद के सहयोग से संकलित**



एकत्र किये गये ऐसे सम्पूर्ण कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जो इस तरह एकत्रित न किया गया होता, यदि उपधारा (1) समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त होती।<sup>361</sup>

### [संक्रमणकालीन उपबंध

इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।<sup>362</sup>

---

**360 .** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी किया गया।

**361 .** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 420/79-वि-1-2023-1(क)-13-2023 लखनऊ, 21 अगस्त, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

**362 .** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2023) विज्ञप्ति संख्या 579/79-वि-1-2023-1-क-18-2023 लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ाया गया।

### उद्देश्य और कारण

वर्तमान में, राज्य सरकार मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, पण कर, सुख साधन कर, क्रय कर आदि का उद्ग्रहण करती है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि का उद्ग्रहण करती है। समान पूर्ति श्रृंखला में उद्ग्रहीत किये जा रहे करों की बहुलता है। माल एवं सेवाओं की वर्तमान कर प्रणाली में केसकेडिंग कर विद्यमान है। करों की बहुलता के कारण करदाताओं के लिये अनेक विवरणियों एवं संदायों आदि के रूप में अनुपालन लागत में वृद्धि हो जाती है।

2-पूर्वोक्त कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत अधिकांश अप्रत्यक्ष कर, माल और सेवा कर नामक एकल कर में समाहित किये जाने हैं, जिन्हें विनिर्माण या आयात से आरंभ करते हुए, अंतिम छुटपुट स्तर तक, पूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर उद्ग्रहीत किया जायेगा। यह दोहरा उद्ग्रहण होगा, जहां माल या सेवाओं या दोनों के अंतःराज्यीय पूर्ति पर केन्द्र सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा करों के रूप में कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण करेगी तथा राज्य सरकार, राज्य माल और सेवा करों के रूप में कर उद्ग्रहण एवं संग्रहण करेगी।

3-उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के भीतर माल या सेवाओं की जाने वाली पूर्ति पर माल और सेवा कर उद्ग्रहण के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु और मुख्यतः निम्नलिखित उपबंध किये जाने हेतु विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है :-

(क) मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान की पूर्ति के सिवाय, माल या सेवाओं या दोनों के समस्त अंतःराज्यीय पूर्तियों पर माल और सेवा कर परिषद् द्वारा संस्तुत अनधिक बीस प्रतिशत अधिसूचित की जाने वाली दर से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नामक कर उद्ग्रहण करना ;

(ख) कारबार के अनुक्रम में या उसको अग्रसर करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर संदत्त करों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध कराकर, उसके आधार को व्यापक बनाना ;

(ग) इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालकों पर, उनके पोर्टलों के माध्यम से, माल या सेवाओं की पूर्ति करने वाले पूर्तिकर्ताओं को किये जाने वाले संदायों में से, कराधेय पूर्तियों के शुद्ध मूल्य के अनधिक एक प्रतिशत की दर से, स्रोत पर कर संग्रहीत करने की बाध्यता अधिरोपित करना;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संदेय करों के स्वतः निर्धारण हेतु उपबंध करना;

(ङ) अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन को सत्यापित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की लेखापरीक्षा संचालित करने हेतु उपबंध करना;

(च) अधिकारियों को निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्तियों हेतु उपबंध करना;

(छ) विभिन्न रीतियों का उपयोग करते हुए, कर बकायों की वसूली हेतु उपबंध करना;

(ज) अग्रिम विनिर्णय हेतु उपबंध करना;

(झ) प्रस्तावित विधि के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियों हेतु उपबंध करना;

(ञ) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कारबार, माल या सेवाओं या दोनों पर घटाये गये कर भार की प्रसुविधा उपभोक्ताओं तक पहुंचे, मुनाफाखोरी निवारण हेतु उपबंध करना; और

(ट) विद्यमान करदाताओं का माल और सेवा कर प्रणाली के सुगम संक्रमण हेतु विस्तृत संक्रमणकालीन उपबंध करना।

5. तदनुसार उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

.....